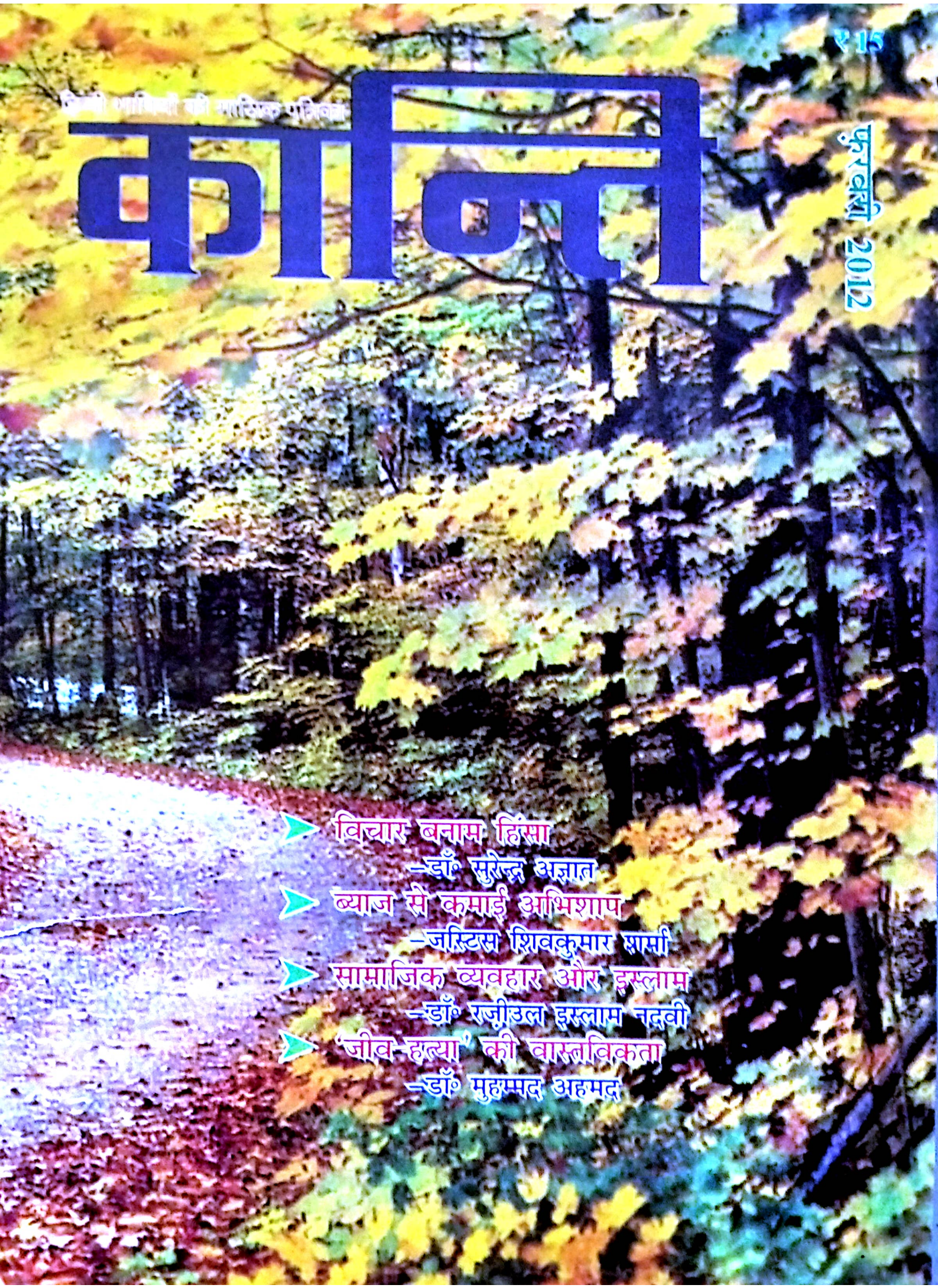
₹ 15
फ़रवरी 2012
मासिक पत्रिका
कल्कि
विचार बनाम हिंसा
–डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात
ब्याज से कमाई अभिशाप
–जस्टिस शिवकुमार शर्मा
सामाजिक व्यवहार और इस्लाम
–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी
'जीव-हत्या' की वास्तविकता
–डॉ॰ मुहम्मद अहमद

"जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, उनकी उपमा ऐसी है, जैसे एक दाना बोया जाए, जिससे सात बालें निकलें और प्रत्येक बाल में सौ दानें हों।" (क़ुरआन)

SEAHATH CANNING COMPANY

Manufacturer & Exporters of Canned Fish



Website
www.seahathcanning.com

Manager - Marketing
ANEES MOHAMMED

Factory/office: Plot No. 8, Margao Industrial Estate.
St. Jose de Areal, P.O Curtorim - 403 709. SALCETTE - GOA (INDIA)
E-mail: seahath@gmail.com
Ph:0832-2860342(F),6481948(R),Cell: No.: 9225902984,Tele Fax: 0832-2860412

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 8 फ़रवरी 2012

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, (अल्लाह के आगे) झुको और सजदा करो, और अपने रब की बन्दगी करो, और अच्छे कर्म करो, इसी से उम्मीद की जा सकती है कि तुमको सफलता प्राप्त हो। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो

मैं-मैं मेरा-मेरा करके मद में मरने वालो !
संभलो, अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो ।।

तुम चेतन हो, चेतन ही है
नित्य स्वरूप तुम्हारा,
तुम न मिटोगे, मिट जाएगा
भौतिक रूप तुम्हारा,

जड़ शरीर हो, तुम ऐसा भ्रम नहीं कभी भी पालो ।
संभलो, अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो ।।

जग के जो भी रिश्ते-नाते,
सब शरीर के नाते,
तन नश्वर है, तन के नाते
तन तक ही रह जाते,

असत् और सत् के विवेक की अन्तर्ज्योति जगा लो ।
संभलो, अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो ।।

है व्यावहारिक सत्य भले ही
भौतिक रूप तुम्हारा,
किन्तु नित्य परमार्थ सत्य को
तुमने क्यों न विचारा,

तन से ऊपर उठकर अपने आत्मतत्व को पा लो ।
संभलो, अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो ।।

सेवा-सत्य-न्याय के पथ पर
जो मन चलते जाते,
उनके आत्मलोक के दीपक
जगमग जलते जाते,

ऊर्ध्वमुखी पंकज-सम उठकर मन का सुमन खिला लो ।
संभलो, अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो ।।

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'
हिन्दी सहकार संस्थान
सिविल लाइन्स, उन्नाव (उ०प्र०)



कहां क्या है ?

अपने को जड़ता के बंधन में मत डालो (कविता)		
	–भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'	3
कुरआन ज्योति		5
राजपद चाहने का निषेध (हदीस मंजरी)		6
कन्या भ्रूण-हत्या और इस्लामी शिक्षाएं (संपादकीय)		7
साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण के उपाय (आपके पत्र)		9
ब्याज से कमाई अभिशाप	–शिवकुमार शर्मा	13
सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम	–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी	15
'जीव-हत्या' की वास्तविकता	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	23
विचार बनाम हिंसा	–डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात	26-27
नेहरू भी चाहते थे कश्मीर में जनमत संग्रह		
	–अरुंधति राय	30
एक सेहरानशीं सहाबिया रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)		
	–तालिब हाशमी	33
मोटर के छींटे (कहानी)	–मुंशी प्रेमचन्द	37
नैतिकता इस्लाम की आत्मा	–एम॰ शैज़ी	41
कितनी कारगर हैं शिक्षा की ये दुकानें ?		
	–सुप्रिया	45
इस्लाम अनुदार धर्म नहीं	–इमामुद्दीन रामनगरी	47
छींक और अंधविश्वास (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	49

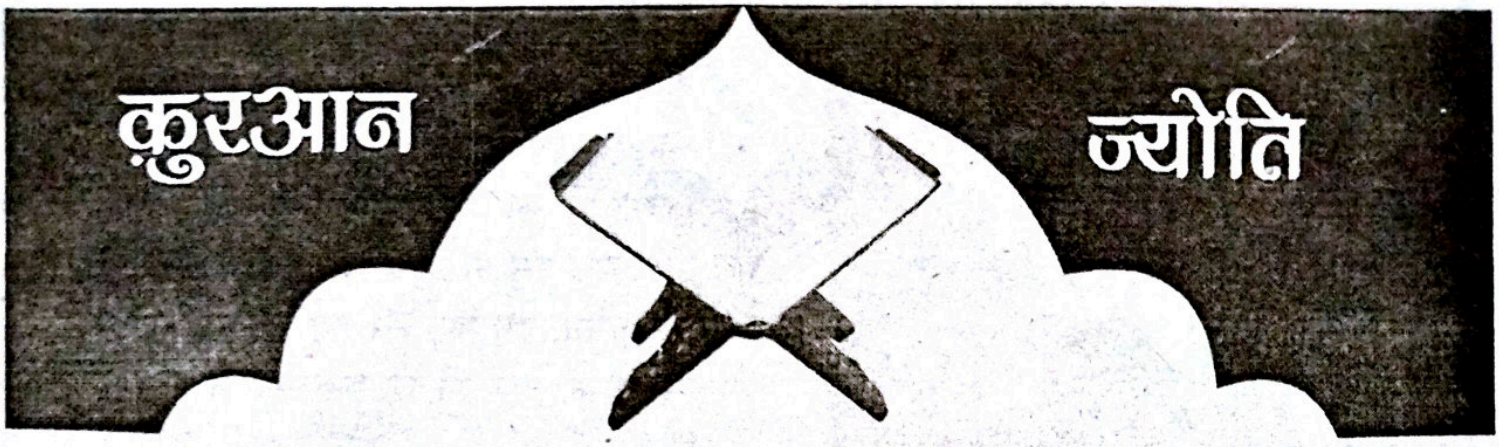

(46) और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे भीतर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र (धैर्य) से काम लो,[37] निस्सन्देह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है (47) और उन लोगों के-से रंग-ढंग न अपनाओ जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनका रवैया यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं।[38] जो कुछ वे कर रहे हैं, वह अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है।

–क़ुरआन, 8 : 46,47

37. अर्थात अपनी भावनाओं और इच्छाओं को वश में रखो। जल्दबाज़ी, घबराहट, भय, लोभ और अनुचित उत्तेजना से बचो। ठंडे दिल और जंची-तुली निर्णय-शक्ति के साथ काम करो। संकट और कठिनाइयां सामने हों तो तुम्हारे क़दम डगमगाने न पाएं। उत्तेजनापूर्ण अवसर हो तो क्रोध-उन्माद तुमसे कोई अनुचित कार्य न कराने पाये। विपदाएं सामने हों और स्थिति बिगड़ती दिखायी दे तो घबराकर तुम विचलित न हो जाओ। उद्देश्य-प्राप्ति के शौक़ में बेक़रार होकर या कोई कच्चे-पक्के उपाय को सरसरी नज़र में प्रभावकारी देखकर तुम्हारे इरादे जल्दबाज़ी का शिकार न हो जाएं और अगर कभी सांसारिक लाभ, मनेच्छा के प्रलोभन तुम्हें अपनी ओर लुभा रही हों तो उनके मुक़ाबले में भी तुम्हारा मन इतना ज़्यादा कमज़ोर न हो कि अनचाहे उनकी ओर खिंच जाओ। ये समस्त अर्थ केवल एक शब्द 'सब्र' (धैर्य) में पाये जाते हैं, और अल्लाह फ़रमाता है कि जो लोग इन तमाम पहलुओं से सब्र करने वाले (धैर्यवान) हैं, मेरा समर्थन उन्हीं को प्राप्त है।

38. संकेत है क़ुरैशीशत्रुओं की ओर जिनकी सेना मक्का से इस शान से निकली थी कि गाने-बजाने वाली लौंडियां साथ थीं, जगह-जगह ठहरकर नाच-गाने और मदिरापान की सभाएं आयोजित करते जा रहे थे, जो-जो क़बीले और गांव रास्ते में मिलते थे, उन पर अपनी शक्ति, वैभव, अपनी भारी संख्या और युद्ध-सामग्री का रौब जमाते थे और डींगें मारते थे कि भला हमारे मुक़ाबले में कौन सर उठा सकता है। यह तो थी उनकी नैतिक दशा और इस पर और अधिक अभिशाप यह था कि उनके निकलने का उद्देश्य उनके चरित्र से भी अधिक अपवित्र था। वे इसलिए जान व माल की बाज़ी लगाने नहीं निकले थे कि सत्य और न्याय का झंडा ऊंचा हो, बल्कि इसलिए निकले थे कि ऐसा न होने पाये। और वह अकेला गिरोह भी जो दुनिया में इस सत्य उद्देश्य के लिए उठा है, समाप्त कर दिया जाए, ताकि उस झंडे को उठाने वाला समूचे संसार में कोई न रहे। इस पर मुसलमानों को सचेत किया जा रहा है कि तुम कहीं ऐसे न बन जाना। तुम्हें अल्लाह ने ईमान और सत्यवादिता की जो नेमत प्रदान की है, उसका तक़ाज़ा यह है कि तुम्हारे चरित्र भी पवित्र हों और तुम्हारा युद्ध-उद्देश्य भी पवित्र हो।

यह आदेश उसी समय के लिए न था, आज के लिए भी है और सदा के लिए है। शत्रुओं की सेनाओं का जो हाल उस समय था, वही आज भी है। वेश्यालय और निर्लज्जता के अड्डे और शराब के पीपे उनके साथ अटूट अंग की तरह लगे रहते हैं। खुफ़िया तौर पर नहीं, बल्कि खुल्लमखुल्ला अति निर्लज्जता के साथ वे औरतों और शराब का अधिक से अधिक राशन मांगते हैं और उनके सैनिकों को स्वयं

(शेष पृष्ठ 11 पर)

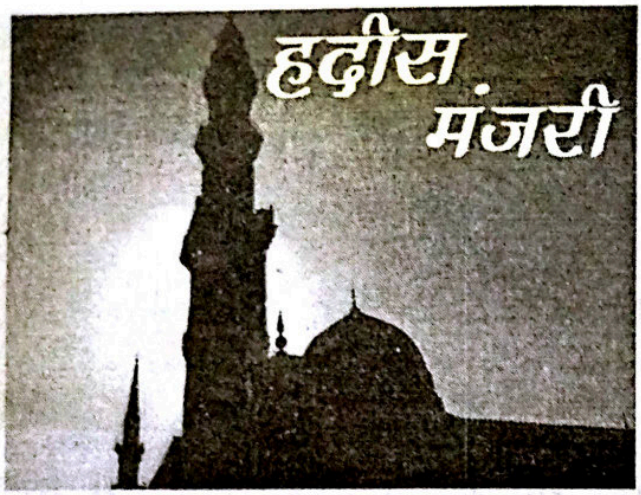

राजपद चाहने का निषेध

● हज़रत अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे क्षेत्राधिकारी ('आमिल') नहीं बना देंगे ? इस पर आपने अपना हाथ मेरे कंधे पर थपककर कहा : "ऐ अबू ज़र, तुम कमज़ोर हो और वह अमानत है और वह क़ियामत के दिन सर्वथा अपमान और पश्चाताप सिद्ध होगी अलबत्ता उस व्यक्ति की बात और है जो उसे हक़ के साथ ग्रहण करे । और इस सिलसिले में जो ज़िम्मेदारी उस पर आती हो उसे पूर्णरूप से अदा करे ।" –मुस्लिम

सुयोग्य और अच्छे मंत्री

● हज़रत अबू सईद (रज़ि॰) और हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह ने जिस नबी को भी भेजा और जिस किसी को भी ख़लीफ़ा (शासक) नियुक्त किया अनिवार्यत: उसके दो निकटवर्ती साथी होते हैं : एक साथी उसे भलाई का हुक्म देता और उस पर उभारता है और दूसरा साथी उसे बुराई का हुक्म देता और उस पर उभारता है । और गुनाहों से पाक वही है जिसको अल्लाह बचा ले ।" –बुख़ारी

पदलोलुप को अधिकारी न बनाएं

● हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैं और मेरे चचा के दो बेटे नबी (सल्ल॰) की सेवा में पहुंचे । उनमें से एक ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, जो हुकूमत गौरव के स्वामी प्रतापवान अल्लाह ने प्रदान की है, उसमें से किसी क्षेत्र का हमें हाकिम बना दें । दूसरे ने भी ऐसा ही कहा । इस पर आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की क़सम, हम पद और हुकूमत का काम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते जो इसे मांगे या जो इसका लोभी हो ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

लज्जा और उसका महत्व

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) अंसार में से एक व्यक्ति के पास से गुज़रे जो अपने भाई को उसकी लज्जा पर नसीहत कर रहा था । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "छोड़ो उसे, लज्जा भी ईमान का एक हिस्सा है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "लज्जा भलाई ही लाती है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

मुस्लिम की एक रिवायत में है : "लज्जा भलाई है पूरी की पूरी ।" या कहा : "लज्जा पूरी की पूरी भलाई है ।"

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "ईमान की सत्तर से कुछ अधिक या साठ से कुछ अधिक शाखाएं हैं । उनमें सबसे श्रेष्ठ 'ला इलाह इल्लल्लाहु' (अल्लाह के सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं) कहना है और उनमें जिसका दर्जा सबसे कम है वह है : रास्ते से कष्टदायक चीज़ का हटा देना और लज्जा भी ईमान की एक शाखा है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

कन्या भ्रूण-हत्या और इस्लामी शिक्षाएं

आधुनिक युग कितना 'सभ्य युग' है ? यह सवाल बुद्धिजीवियों और रचनाकारों के साथ ही चिंतक वर्ग में जब-तब उठता रहता है, लेकिन जवाब पर सदैव असहमति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण मनुष्य की वे कुत्सित प्रवृत्तियां हैं, जो विकृत स्वार्थपरता से प्रसूत होकर उसे अज्ञान काल की ओर धकेल ले जाती हैं । इन कुप्रवृत्तियों में कन्या भ्रूण-हत्या भारतीय समाज में वीभत्स रूप से विद्यमान है, जो मनुष्य की क्रूरता और पाशविकता का जीवंत उदाहरण है । यह कुप्रवृत्ति पढ़े-लिखे और विकसित समाज में अधिक पायी जाती है, जो इस तथ्य को भली-भांति दर्शाती है कि यदि शिक्षा व विकास की सही दिशा और यथा तथ्यता न हो, तो लोग इतने ख़ूंख़्वार एवं निर्दयी बन सकते हैं कि अपने ही हाथों अपनी संतान को मौत के घाट उतार दें और शिक्षित व बौद्धिक समाज के दावों पर सवालिया निशान लगा दें । हमारे देश में वर्षों और दशकों से यही हो रहा है । न तो तथाकथित जन-जागरूकता का इस मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है और न ही किसी नियम-क़ानून का । इस प्रकार की घटनाएं अनवरत रूप से घटती रहती हैं । अभी हाल में किसी हद तक सम्पन्न राज्य कर्नाटक में कन्या भ्रूण-हत्या का पुख़्ता प्रमाण मिला है । राज्य के शिमोगा ज़िले के बाहरी क्षेत्र में टुंगा नदी के किनारे मिले लगभग तीस मादा भ्रूण इस हक़ीक़त को ज़ाहिर करने में सक्षम हैं कि आधुनिक युग में स्त्रियों के प्रति इतनी गंभीर व घिनौनी मानसिकता पायी जाती है, जो उन्हें जीवन जीने योग्य ही नहीं मानती !

प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने कुछ महीने पहले यह वक्तव्य दिया था कि सभी बाधाओं को तोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के आगे आने के बावजूद देश में मादा भ्रूण-हत्या की घटनाओं का लगातार सामने आना राष्ट्रीय शर्म की बात है । विभिन्न सर्वे रिपोर्टों और 'लांसेट' नामक पत्रिका के विवेचनों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है कि कन्या भ्रूण-हत्या की समस्या देश के मुख्यत: सम्पन्न क्षेत्रों और धनी वर्गों के बीच पायी जाती है । यह अधिक गंभीर रूप धारण कर चुकी है । इन सच्चाइयों के बावजूद न तो जनता की मनोवृत्ति परिवर्तन हो पा रही है और न ही सरकारी मशीनरी चुस्त और चौकन्नी हो पा रही है । शिमोगा की उक्त घटना का पता तब चला, जब कुछ कचरा बीनने वालों की निगाह कन्या-भ्रूणों पर पड़ी । इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन वह किसी के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने की स्थिति में नहीं पहुंची है, केवल पास के एक नर्सिंग होम पर शक भर किया जा रहा है । इस अपराध के ख़िलाफ़ कई क़ानून मौजूद हैं, जिनके तहत दंड-प्रावधानों को कठोर भी बना दिया गया है, किन्तु व्यवहार में ये निष्प्रभावी हैं । वृक्क सहित मानव-अंगों का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है, परन्तु इन अवैध कारोबारियों के ख़िलाफ़ एक प्रकार से शून्य कार्रवाई हो पाती है । भ्रूण हत्या तो गंभीर प्रकार का सामाजिक अपराध है, जो मनुष्य की नैतिकता और सुकृत्य तक को दांव पर लगा देता है ।

इस अपराध का प्रभावकारी उपचार मनुष्य की मनोवृत्ति में आमूल बदलाव है । यह बदलाव इस्लाम की अमोघ औषधि सहश शिक्षाओं को अपनाने से ही आ सकता है । इतिहास में इस औषधि अनुभूत प्रयोग किया जा चुका है । आज भी मुस्लिम समाज में कन्या भ्रूण-हत्या जैसे अपराध नहीं पाये जाते । इनका श्रेय इस्लामी धारणा को जाता है । अल्लाह के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा इस्लाम की शिक्षाएं पेश किये

जाने के पूर्व अरबवासी लड़कियों को अपमानजनक समझते थे । उन्हें भारी बोझ समझते थे । कुरआन में इसका विवरण निम्नलिखित शब्दों में आया है–'जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह घुटा-घुटा रहता है । जो शुभसूचना उसे दी गयी वह (उसकी दृष्टि में) ऐसी बुराई की बात हुई कि उसके कारण वह लोगों में छिपता फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे । देखो कितना बुरा फ़ैसला है जो वे करते हैं'' (कुरआन, 16:58,59)।

अरबवासी कन्या-हत्या के लिए विभिन्न तरीक़े इस्तेमाल करते थे । इस्लाम ने इस कुप्रथा पर बड़े प्रभावकारी ढंग से रोक लगा दी । अल्लाह ने आदेश दिया–''निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो । हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी'' (कुरआन, 6:151)। कन्या-हत्या करने वालों को पारलौकिक जीवन में भी पकड़ की चेतावनी दी गयी–''और जब जीवित गाड़ी गयी लड़की से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस अपराध के कारण की गयी'' (कुरआन, 81:8,9)। इस अपराध के ख़िलाफ़ अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने लोगों से वचन (बैअत) लिया कि ''मुझ से बैअत (प्रतिज्ञा) करो कि उस चीज़ पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे और अपनी संतान की हत्या नहीं करोगे'' (बुख़ारी)। एक हदीस में है–''जिस व्यक्ति ने तीन लड़कियों का लालन-पालन किया, उन्हें शिष्टाचार सिखाया, उनके साथ सहानुभूति की नीति अपनायी, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें निस्पृह कर दिया, तो उसके लिए जन्नत (स्वर्ग) है' (अबू दाऊद)।

AQUIL MUKHTAR
DEVELOPERS PVT. LTD.

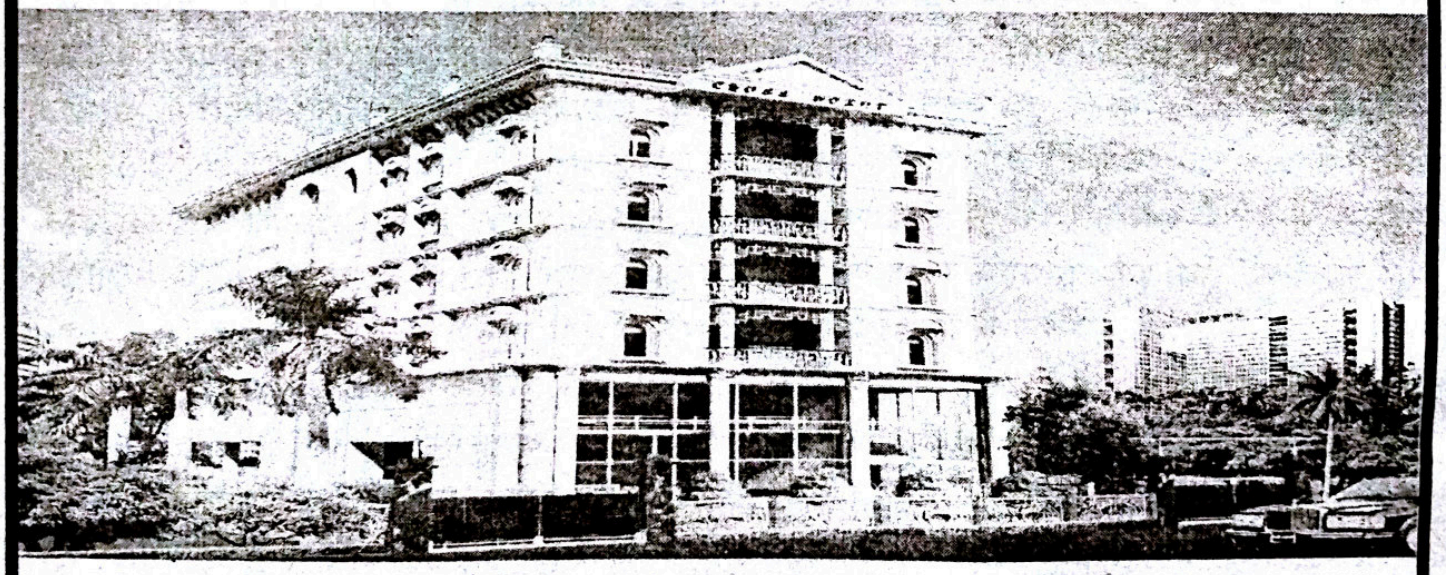

M.D. MR. MUKHTAR AHMED MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण के उपाय

हिन्दी भाषियों की प्यारी व प्रतिक्षित पत्रिका 'कान्ति' का दिसम्बर 2011 अंक पढ़ा । श्री राजेन्द्र लाल द्वारा लिखित 'इस्लाम की शिक्षाएं' तथा एक अन्य लेख 'औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता' काफ़ी प्रेरक लगे । उक्त लेखों के अतिरिक्त मुहम्मद सलीम इंजीनियर द्वारा लिखित 'साम्प्रदायिक हिंसा से देश व समाज को कैसे बचाएं ? बड़ा ही रोचक लगा ।

उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर औद्योगिक नगरी मऊ साम्प्रदायिक तनाव व दंगों के रोग से विगत 1969 से संभवत: लगातार प्रत्येक दो चार वर्षों के अंतराल पर ग्रसित होता रहा है । सुनियोजित हिंसा व अफ़वाहों के माध्यम से हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों को आर्थिक, सामाजिक रूप से तबाह करने की दृष्टि से दंगा भड़काया जाता है । दंगाइयों तथा आतंकवादियों का न कोई जाति होती है और न कोई सम्प्रदाय होता है और न ही सिद्धांत । इनका उद्देश्य मात्र शांति भंग करना तथा लूटपाट व आगज़नी कर दोनों सम्प्रदायों के बीच खायी बनाना है । इतनी दूरियों के बावजूद मऊ नगर के संभ्रांत शांत प्रिय नागरिकों, व्यापारियों, बुनकरों तथा किसानों ने शासन व प्रशासन का सहयोग लेकर नगर में शांति समरसता तथा सद्भाव की त्रिवेणी को बहाने का सार्थक प्रयत्न किया है । इस सिलसिले में निम्नलिखित प्रयास किये जाते हैं–

(1) ईद के पवित्र पर्व पर हिन्दू संगठनों द्वारा ईद मिलन समारोह डी०ए०वी० इंटर कॉलेज में तथा होली पर्व पर मुस्लिम बंधुओं द्वारा स्थानीय मुस्लिम इंटर कॉलेज में धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया जाता है । इसमें दोनों सम्प्रदायों के लोग एक-दूसरे को पर्वों की बधाइयां दिल की गहराइयों से देकर गले ही नहीं अपितु दिल से दिल मिलाते हैं ।

(2) नगर के ईदगाहों डीहवा (औरंगाबाद), पहाड़पुरा आदि पर ईद व बक़रीद के दिन नमाज़ के पश्चात श्री रामलीला मेला समिति व्यापारमंडल व अन्य हिन्दू संगठनों द्वारा प्रत्येक नमाज़ी को इत्र लगाना, गुलाब व फूल वितरित किया जाता है, जिसमें शासन व प्रशासन के आला अधिकारी भी अपनी सहभागिता अदा करते हैं ।

(3) मुहर्रम के जुलूस में मुसलमानों के अतिरिक्त हिन्दू भी मातम में अपना समान योगदान मनसा वाचा व कर्मणा करते हैं ।

(4) दूर्गापूजा के पश्चात मूर्ति विसर्जन के जुलूस के नगर भ्रमण के समय मुस्लिम बंधुओं द्वारा कई स्थानों मिष्ठान्न विसलरी की बोतलें तथा चाय व बिस्कुट स्वयं अपने हाथों खिलाना आदि ।

उपरोक्त सारे कार्य संभवत: भारतवर्ष में अपना अनूठा व प्रेरक प्रयोग है । अब पिछले सात वर्षों में दोनों सम्प्रदायों में आपसी सौहार्द तथा विश्वास काफ़ी हद तक बढ़ा है, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष है । अफ़वाहें अब भी उठती हैं कि किसी उपासनागृह की चटाई जल गयी । किसी की मूर्ति खंडित हो गयी, लेकिन आपसी समरसता के कारण क्षण मात्र में स्थिति सामान्य हो जाती है । सभी नागरिक अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं । साम्प्रदायिक हिंसा से समाज को बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय उपरोक्त रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है । देश के सभी संवेदनशील स्थानों पर उक्त प्रयोग आदि किया जाए तो अवश्य सार्थक परिणाम आएगा ।

डॉ० रामगोपाल गुप्त
मऊनाथ भंजन, मऊ (यू०पी०)

पक्षपात नहीं

मासिक 'कान्ति' का दिसम्बर अंक पढ़ने को मिला । अंक में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का 'जिहाद की वास्तविकता–मूलार्थ और उद्देश्य' शीर्षक लेख जिहाद के संबंध में नयी तथा विस्तृत जानकारी देने वाला है । मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने पक्षपात किया है तथा आम हिन्दू धर्मावलंबियों में यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि उसने हिन्दुओं के साथ पक्षपात और अन्याय किया तथा वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु और कट्टर था ।

इसी अंक में ज़फ़र अहमद का 'औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता'' शीर्षक लेख अच्छा तथा पठनीय लगा जिसमें

औरंगज़ेब की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सहृदयता के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गयी है ।

विद्या प्रकाश

अचला घाट मार्ग, सिपाह, जौनपुर-222001 (उ०प्र०)

मृत्यु को याद रखने वाला पाप नहीं करता

एक बार एक सज्जन ने संत एकनाथ से पूछा–महाराज आपका जीवन पवित्र और निष्पाप है हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं होता ? संत बोले कि मेरी बात छोड़ो, मुझे मालूम हुआ है कि सात दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी । वह सज्जन इसे सुन हक्का-बक्का रह गया और झटपट सारे लेन-देन निबटाकर धर्म कार्य में लग गया । सातवें दिन जब वह एकनाथ से मिला तो उन्होंने कहा कि इन दिनों में तुमने कितना पाप किया ? उसने मृत्यु के भय की बात कही । संत ने कहा–बस, इसी कारण पाप नहीं होता है । अत: मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए ताकि पाप की ओर ध्यान न जाए ।

इसी बात की तस्दीक़ जयपुर में एक फ़क़ीर बादशाह ने की थी । उन्होंने उर्दू में ''मौत'' बड़े-बड़े अक्षरों में अपने आसन के पीछे लिख रखा था ।

मैंने पूछा उर्दू में यह क्या लिखा है तो उन्होंने कहा–''मौत'' इसे हमेशा अपने सामने रखना चाहिए क्योंकि यही सत्य है और यह आये बिना रहेगी नहीं । इसलिए इन्सान बनों और इन्सानियत से चलो ।

घेवरचन्द गोदीका

जंयपुर (राजस्थान)

चारित्रिक रचना

अंग्रेज़ी व पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर ली वर्तमान में इसी को मानकर अपना अच्छा कैरियर समझ लेना । ऊंचा वेतन प्राप्त कर झूठा व्यावहारिक जीवन प्राप्त करना मान लिया कि जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया । अच्छी आय अच्छी बचत होने लग गयी । स्वार्थ से वशीभूत होकर नाजायज़ आय प्राप्त करता । जीवन के क्षणिक सुख के लिए अनेक फ़्लैट व कारें लेना । सुन्दर पत्नी मिल जाना, ग़लत गृहस्थ सुख का आधार मानना यह सोचकर मानव जीवन में सब भौतिक सुख मिले अच्छा पद, पैसा, प्रतिष्ठा को जीवन का ऊंचा स्तर मानना । दादा-दादी माता-पिता से दूर एकाकी परिवार बन गया, जिन्होंने तुम पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया । आज वृद्धावस्था में तुमने उन्हें तिरस्कृत कर दिया । सोचो, एक दिन तुम्हें भी वृद्धावस्था मिलेगी तो तिरस्कृत करने से तुम्हें भावी जीवन में पीड़ा झेलनी होगी । जीवन जीने की एक कला है यही चारित्रिक उत्थान का लक्ष्य है ।

घर, परिवार, समाज व देश के प्रति भी सोचें । कुछ समय निकालें, सेवा-भावना अपनाएं । अंधों, लंगड़े, अपंग व अपाहिज को कुछ दान करें । भौतिकवाद को मिटाकर आध्यात्मिकता पर ध्यान देना ।

रामस्वरूप झंवर

शास्त्रीनगर, माहेश्वरीसभा, भीलवाड़ा (राज०)

वास्तविक ज्ञान

धर्म के अनुसार आचरण करना मनुष्य के लिए कठिन इसलिए होता है कि वे अज्ञानतावश धर्म को समझ नहीं पाता है । लोगों को केवल वे ही बातें समझ में आती हैं, जिन्हें वे अपनी आंखों से देखते और अनुभव करते हैं । बहुत-सी बातें नज़रों से ओझल हैं, जिन्हें समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और यह ज्ञान धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है ।

ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, उसे सोचने-समझने की क्षमता दी है । वह सत्य और असत्य, पाप और पुण्य का पता लगा सकता है । शारीरिक आंखों से तो केवल वही देखा जो इस संसार में घटित हो रहा है । वास्तविक सत्य को समझने के लिए मन की आंखों को खोलना होगा । मन की आंखें ही ज्ञान की आंखें हैं । धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते समय मन की आंखों को खोलना ज़रूरी है । इन्हें केवल मनोरंजन के लिए अनास्था रखते हुए पढ़ने का कोई लाभ नहीं ।

अब्दुस्सलाम

सोलापुर (महाराष्ट्र)

मुसलमानों का योगदान

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में मुसलमानों की प्रभावी भूमिका और उल्लेखनीय बलिदान रहा है । 1857 ई० से ठीक 100 वर्ष पूर्व 1759 ई० में विशाल बंगाल के राजा नवाब सिराजुद्दौला ने प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उनकी हार हुई थी । दूसरी जंगे आज़ादी 1797 ई० में श्रीरंगापट्टन (मैसूर) में हुई थी जहां अंग्रेज़ों से लड़ते हुए टीपू सुलतान शहीद हुए थे । अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किये थे । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा

है कि आज़ादी आन्दोलन में मुसलमान आगे थे, इसलिए वह अंग्रेज़ों के अत्याचार के अधिक निशाना बने ।

मुस्लिम बादशाहों पर यह झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिन्दू जनता पर बहुत अत्याचार किय थे । यदि यह बात सच होती तो 1857 ई॰ में भारत के राजे-महाराजे मिलकर बूढ़े बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र को अपना लीडर नहीं मान लेते और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़ने को तैयार नहीं होते । 1857 ई॰ की लड़ाई हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी ।

गांधी जी और मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में जहां जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपाल इत्यादि थे, वहीं रफ़ी अहमद क़िदवाई, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान, डॉ॰ अंसारी, मौलाना मुहम्मद अली जौहर वग़ैरह भी थे ।

हसनैन कैफ़

भंडारा, महाराष्ट्र

शुभकामनाएं

'कान्ति' में प्रकाशित लेख बहुत ही अच्छे हैं । आप ऐंसे ही कार्यरत रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं ।

लक्ष्मण गायकवाड

गोरेगांव, मुंबई

सुझाव

'कान्ति' का जनवरी 2012 का अंक पढ़ा । नया वर्ष 'कान्ति' मासिक के सभी परिवार को व समस्त पाठकों व लेखकों को शुभ व मंगलकारी हो यही हार्दिक अभिलाषा है ।

देश में भी नयी खुशहाली आये यही कामना है । मैंने समय-समय पर 'कान्ति' में अपने विचार रखें हैं । आगे भी यह सिलसिला जारी रखूंगा । क्योंकि 'कान्ति' एक सशक्त माध्यम है अपने विचार प्रकट करने का ।

'कान्ति' में खेलों संबंधित सामग्री भी प्रकाशित करें तो सबको अच्छा लगेगा ।

यशपाल जैन आदर्श

494/5, राजापार्क जयपुर (राज॰)

फ़र्ज़ी कंपनियों द्वारा ठगी

आये दिन समाचार पत्र व टी॰वी॰ पर सुर्ख़ियों में छायी फ़र्ज़ी कंपनियों द्वारा ठगी के क़िस्से छपते व देखे जा सकते हैं । ये फ़र्ज़ी कंपनियां कभी सोने का कभी ज़मीन का तो कभी रक़म दुगनी-चौगुनी करने का झांसा देकर जनता की ख़ून-पसीने की कमाई डकार जाती है । इन कंपनियों में पैसा लगाना ग़लत है । सरकार को भी इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए तथा जनता को सतर्क रहना चाहिए कि इन कंपनियों के झूठी बातों पर यक़ीन न करें ।

विशाल जैन

2/407, मालवीय नगर, जयपुर (राज॰)

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

अपनी क़ौम ही से यह मांग करने में संकोच नहीं होता कि वे अपनी बेटियों को बड़ी से बड़ी संख्या में उनकी वासना का खिलौना बनने के लिए प्रस्तुत करें । फिर भला कोई दूसरी क़ौम इनसे क्या आशा कर सकती है कि ये उसको अपनी नैतिक गन्दगी की संडास बनाने में कोई कमी छोड़ेंगे । रहा उनका घमंड और उनकी शेख़ी, तो उनके हर सैनिक और हर अधिकारी की चाल-ढाल और बातचीत के तरीक़े में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उनमें से हर क़ौम के राजनीतिज्ञों के वक्तव्यों में 'आज हम पर कोई विजय नहीं पा सकता' और 'हमारी शक्ति के मुक़ाबले में कौन है ?' की डींगें सुनी जा सकती हैं । इन नैतिक गन्दगियों से अधिक गन्दे उनके युद्ध-उद्देश्य हैं । उनमें से हर एक अति मक्कारी के साथ संसार को विश्वास दिलाता है कि उसकी दृष्टि में मानवता के हित व कल्याण के सिवा और कुछ नहीं है, मगर वास्तव में उनके सामने एक मानवता का हित ही नहीं है, बाक़ी सब कुछ है । उनकी लड़ाई का मूल उद्देश्य यह होता है कि अल्लाह ने अपनी ज़मीन में जो कुछ सारे इन्सानों के लिए पैदा किया है, उसका अकेले उनकी क़ौम उपयोग करे और दूसरे उसके चाकर और मुहताज बनकर रहें । अत: ईमान वालों को क़ुरआन की सदा-सर्वदा के लिए हिदायत है कि उन अवज्ञाकारियों और इस्लाम शत्रुओं के तौर-तरीक़ों से भी बचें और उन नापाक उद्देश्यों में भी अपनी जान व माल खपाने से परहेज़ करें जिनके लिए ये लोग लड़ते हैं ।

مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی شہرہ آفاق تفسیر

تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی اڈیشن

तफ़हीमुल-क़ुरआन [1]

अल-फ़ातिहा - अल-अनआम

ہندی ترجمہ: مولانا نسیم احمد غازی فلاحی

بندگانِ خدا کو خدا اور اس کی کتاب قرآن حکیم سے وابستہ کرنے والی عصری اسلوب میں ہر عام وخاص طبقے کے درمیان یکساں مقبول و پسندیدہ اُردو تفسیر تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی زبان میں عام فہم اور دل نشیں ترجمہ۔ ہندی اڈیشن میں 'ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی' سے لیے گئے کچھ حاشیے کا اضافہ بھی۔

● سائز: $\frac{۳۰ \times ۲۰}{۸}$ ● صفحات: ۴۴۷ ● ہدیہ: ۳۰۰ روپے

ایس.آئی.او. کے وابستگان ہمارے یہاں کی مطبوعات سے متعلق معلومات یا خریداری کے لیے White Dot Publishers سے براہ راست اس پتے پر رجوع کریں:

D-300 ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی-25

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

ब्याज से कमाई अभिशाप

■ शिवकुमार शर्मा

(पूर्व न्यायाधीश एवं भारतीय विधि आयोग के सदस्य)

न जाने क्यों, कुछ दिनों से मुझे लगने लगा है कि धन लोलुपता, मुख्यतः धन उधार देकर ब्याज कमाने की प्रवृति भ्रष्टाचार की जड़ में है। हो सकता है मेरे विचारों से वे लोग सहमत न हों, जिनका प्रमुख व्यवसाय ब्याज की कमाई पर निर्भर है, किन्तु ब्याज कमाकर जीवन-बसर करना एक सामाजिक अभिशाप है। अगर इस तथ्य की गहराई से जांच की जाए तो ज्ञात होगा कि देश के बैंक ब्याज की कमाई पर ही फल-फूल रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट घराने, बड़े किसान मोटी रकम बैंक से उधार लेते हैं और इस रक़म से अपने कारोबार को बढ़ाकर देश के प्रमुख पूंजीपतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। परेशानी और दिक़्क़त तो होती है मध्यमवर्गीय परिवारों को, जो छोटे-छोटे फ्लेट्स ख़रीदने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं और बैंकों को ब्याज चुकाते-चुकाते उनकी ज़िन्दगी गुज़र जाती है। यदि लिए गये ऋण की किश्तें समय पर नहीं चुकती हैं, तो एक मुश्त ऋण वसूली की प्रक्रिया अत्यधिक कष्ट साधक होती है।

बिल्डर्स द्वारा शहरों में जो अट्टालिकाएं खड़ी की गयी हैं, इसका धन कहां से आया है, क्या कभी आपने विचार किया है? कृषकों की भूमि क्रय करना, नगरीय विकास प्राधिकरण का सहयोग लेना, चुनावों में चंदे की थैलियां बांटना, यह बुद्धिमान व्यवासायियों द्वारा खुलेआम हो रहा है। कुछ वर्ष पहले जो चेहरा शहर के लिए अपरिचित था, बिल्डर बनने के बाद वह शहर का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। नेताओं के साथ उसके चित्र प्रकाशित होते हैं। रातोंरात प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति किंग-मेकर बन जाता है। उधर, ग़रीब कृषक साहूकारों से ऋण लेता है और समय पर ब्याज न चुकाने पर आत्महत्या कर लेता है। आए दिन अख़बारों में ऐसी ख़बरें छपती भी रहती हैं।

केन्द्र सरकार ने पिछले वर्षों में बैंकों द्वारा वितरित किये गये ऋण को एक योजना के अन्तर्गत माफ़ किया था, लेकिन साहूकार द्वारा दिये गये ऋण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। साहूकार का ऋण जब कृषक समय पर नहीं चुकाता है तो साहूकार कृषक की भूमि पर अधिपत्य कर लेता है और कई बार उसे जेल भी भेजवा देता है। इसी ब्याज वसूली का दुष्परिणाम है कि देश के किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। कुरआन में ब्याज वसूली का निषेध किया गया है।

सुरह आले इरमान की 75वीं आयत यह कहती है, 'और किताब वालों में कोई तो ऐसा है, यदि तुम उसके पास धन-दौलत का एक ढेर भी अमानत रख दो, तो वह उसे तुम्हें लौटा देगा। और उनमें कोई ऐसा है कि यदि तुम एक दीनार भी उसकी अमानत में रखो तो जब तक कि तुम उसके सिर पर सवार न हो, वह उसे तुम्हें अदा नहीं करेगा।'

सूरा आले इरमान की 77वीं आयत में यह कहा गया है, 'रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी क़समों का थोड़े मूल्य पर सौदा करते हैं, उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह न तो उनसे बात करेगा और न क़ियामत के दिन उनकी ओर देखेगा और न उन्हें निखारेगा। उनके लिए तो दुखद यातना हैं।'

ब्याज लेना थोड़े मूल्य पर सौदा करना ही तो है। किसी के पास धन-दौलत की बहुतायत है, तो वह निर्धन की मदद करे। निर्धन व्यक्ति को रक़म उधार देकर हर माह उससे उधार दी गयी रक़म पर ब्याज वसूल करना, ब्याज न चुकाने पर उसे परेशान करना कहां तक उचित है।

विदेशी बैंकों में जो धन जमा होता है, उस पर भी तो ब्याज कमाया जाता है। धन लोलुप व्यक्तियों की हवस कभी कम नहीं होती। यहीं पर भ्रष्टाचार जन्म लेता है। बड़े पूंजीपति बैंकों से उधार लेकर व्यवसाय करते हैं एवं देश की जनता ब्याज के बोझ तले दबी रहती है। ब्याज वसूली, फिर ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज, कृषक की सम्पत्ति की नीलामी, जेल, आत्महत्याएं यह क्रम इसी तरह चलता आ रहा है और भ्रष्टाचार गहराता जा रहा है। (सा॰ : 'राज॰ पत्रिका')

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

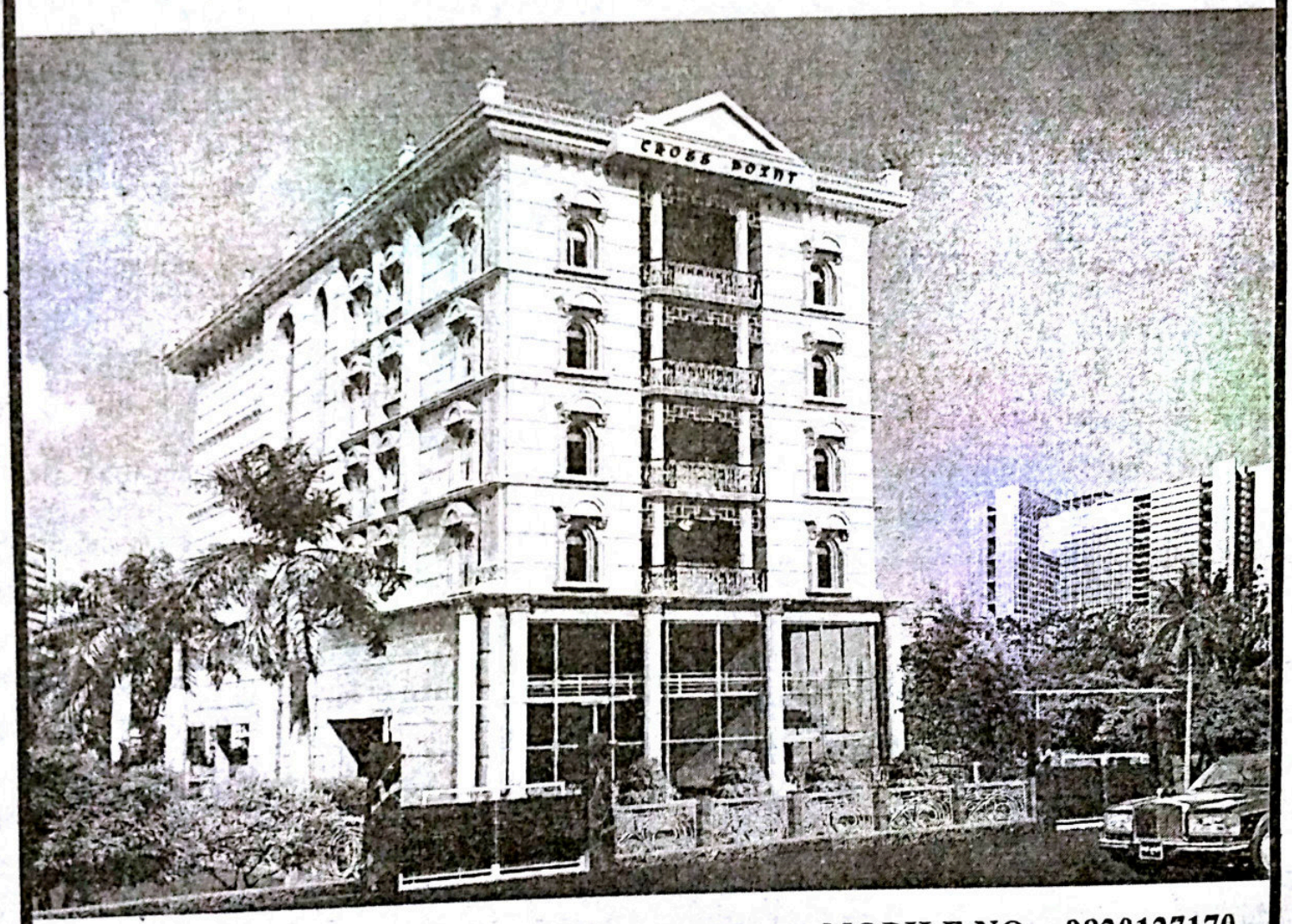

MD. MUKHTAR AHMED

MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),

Mumbai-400011

Tel. No. : 23482660/23482688/23482762

Fax : 23484245

सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम

● डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी

इस्लाम के बारे में साधारणतया जो आक्षेप किये जाते हैं उनमें से एक यह भी है कि इस्लाम अलगाववाद की शिक्षा देता है । वह अपने अनुयायियों को अन्य धर्मावलंबियों से अलग-थलग रखना चाहता है । सद्व्यवहार, सहृदयता, समता, समानता, आपसी संबंध, सहायता और मधुर मानवीय संबंध में उसने जो शिक्षाएं व अनुदेश दिये हैं वह केवल मुसलमानों के लिए हैं और अन्य धर्मावलंबियों के लिए उसके पास घृणा व अनादर के सिवा कुछ नहीं है । वह मुसलमानों को आज्ञा देता है कि अन्य धर्मावलंबियों के साथ किसी तरह का संबंध न रखें, उनके साथ किसी प्रकार की हमदर्दी, भलाई व सहयोग न करें, बल्कि उन्हें तंग करने, नीचा दिखाने और कष्ट पहुंचाने व अपमानित करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दें । आज पूरी शक्ति से यह धारणा देने की कोशिश की जा रही है कि बाहुल्य धार्मिक समाज के लिए इस्लाम संतुलित व योग्य कदापि नहीं है । आज जबकि पूरा संसार सिमटकर एक गांव बन गया है, विभिन्न जातियों गिरोहों और धर्मों से संबंध रखने वालों के मध्य प्रतिपालन अनिवार्य है, ऐसे में इस्लाम की सामाजिक शिक्षाएं साम्प्रदायिक एकता की राह में एक बड़ी रुकावट है ।

परन्तु इस्लामी शिक्षाओं के बारे में इस तरह की धारणाएं उचित नहीं हैं । यह सत्य है कि इस्लाम ने सैद्धांतिक तौर पर मुस्लिम और जो मुस्लिम नहीं हैं, उनके मध्य अन्तर किया है । परंतु इस अन्तर का कुछ भी प्रभाव मानवीय अधिकार और संबंध पर नहीं पड़ता । इस्लाम ने मनुष्य के जो मौलिक अधिकार निर्धारित किये हैं उनसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभांवित होगा चाहे वह मुस्लिम हो या न हो । एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस्लाम ने जो कुछ अनुदेश व शिक्षाएं दी हैं वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होंगी । एक ऐसा समाज जिसमें विभिन्न धर्म वाले रहते-बसते हों, उसके प्रत्येक व्यक्ति के आपसी संबंधों के बारे में इस्लाम का स्पष्ट आदेश है । इस्लामी शिक्षाओं के प्रकाश में यह संबंध घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, अनादर, वैमनस्य, संन्देह पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि उसका आधार मधुर व्यवहार, परस्पर सहायता एवं सहयोग, शुभ चिंतक, सुन्दर विचार आदि होगा । हम आगे उपरोक्त शिक्षाओं का एक बिंब प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे जो कुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाओं से प्रमाणित होगा ।

ग़ैर-मुस्लिम माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों के अधिकार

समाज में मनुष्य का सबसे निकट का संबंध माता-पिता और रिश्तेदारों से होता है, मां-बाप उसे पाल पोसकर बड़ा करते हैं । उसे इस क़ाबिल बनाते हैं कि वह जीवन में दौड़ धूप कर सके । रिश्तेदार उसे प्रेम, अपनत्व, सहायक और उन्नति में सहायक होते हैं । इस्लाम मां-बाप व रिश्तेदारों के साथ सद्व्यवहार का आदेश देता है । इस संबंध में वह मुस्लिम एवं ग़ैर-मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता । यदि किसी ने इस्लाम को सच्चा धर्म समझ कर स्वीकार किया हो, परन्तु उसके मां-बाप ग़ैर-मुस्लिम हों तो भी धर्म की भिन्नता उसे उनकी सेवा करने उनकी देखभाल करने और उनके साथ सद्व्यवहार करने से नहीं रोकती । यही नहीं यदि उसके माता-पिता उसके इस्लाम स्वीकार करने से अप्रसन्न और क्रुद्ध हों और उस पर प्रत्येक प्रकार के दबाव डालें और उसे प्रताड़ित करें कि वह इस्लाम से फिर जाए फिर भी इस प्रताड़ना से वह अपने माता-पिता की सेवा एवं उनके साथ अच्छे व्यवहार में तनिक कोताही न करे । कुरआन में आया है-"और यदि वे तुम पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे, जिसे तू नहीं जानता तो उसकी बात हरगिज़ न मान । अलबत्ता दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह ।" (कुरआन, 31:15)

यह आयत उस समय अवतरित हुई थी जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के आह्वान पर मक्का (क़ुरैश) के नवजवान इस्लाम स्वीकार कर रहे थे । और दूसरी ओर उनके माता-पिता, रिश्तेदार और परिवार के लोग उन्हें रोकने और इस्लाम से फेर कर पैतृक धर्म की ओर लाने के लिए प्रत्येक जतन कर रहे थे और सफल न होने पर उन्हें शारीरिक यातनाएं दे रहे थे और संभव था कि वे नवजवान भी बदला लेने के लिए विवश हो जाते । ऐसे में उन्हें ताकीद की गयी कि वे इस्लाम विरोधी बातों को न माने परन्तु सांसारिक व्यवहार में उनके साथ भले ढंग से व्यवहार करें ।

हुदैबिया की संधि के बाद की घटना है । हज़रत असमा बिन्ते अबूबक्र (रज़ि॰) की माता मक्के से मदीना आयी । हज़रत अबूबक्र (रज़ि॰) ने उन्हें तलाक़ दे दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था । वह अपने साथ कुछ उपहार किशमिश घी आदि लेकर आयी थी । वे आशा करती थी कि इसी प्रकार उनकी पुत्री भी उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार करेगी और उन्हें भी उपहार देगी । हज़रत अंसमा (रज़ि॰) को माता के मुशरिक होने के कारण उनका उपहार स्वीकार करने, उन्हें घर में बुलाने, उनका आदर सत्कार करने व उन्हें कुछ देने में संकोच हुआ और उन्होंने जाकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पूछा । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "हां अपनी मां के साथ दया का बर्ताव करो ।"

माता-पिता के बाद रिश्तेदारों का स्थान आता है वे भी इसी प्रकार अच्छे व्यवहार के पात्र हैं । इस्लाम आग्रह (चेतावनी) करता है कि रिश्तेदार चाहे अपने धर्म के हों या अन्य धर्म के हों उनके अधिकारों को पूरा किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करने से कोताही न की जाएगी । इस संबंध में इस्लाम कितना संवेदनशील है इसका अनुमान इस उदाहरण से भली-भांति किया जा सकता है । इस्लामी शरीअत में पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए मुसलमान होने की शर्त रखी गयी है । कोई ग़ैर-मुस्लिम किसी मुसलमान का वारिस (उत्तराधिकारी) नहीं हो सकता । परन्तु इस्लाम ने दूसरे रास्ते से उसे आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रबंध कर दिया है । ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदारों को वसीअत या उपहार के माध्यम से माल का कुछ भाग दिया जा सकता है । अल्लाह की किताब के अनुसार सामान्य ईमान वालों और हिजरत करने वालों की अपेक्षा नातेदार एक-दूसरे के ज़्यादा हक़दार है । अलबत्ता अपने साथियों के साथ तुम कोई भलाई (करना चाहो तो) कर सकते हो ।

कुरआन में बताया गया है कि नातेदारों के अधिकार साधारण लोगों से सर्वोपरि है । सूरह अहज़ाब हिजरी 5 में अवतरित हुई है । इससे पहले मदीना हिजरत (प्रवास) करने के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुहाजिरीन (हिजरत कर मक्का से मदीना आये लोग) और अंसार मदीना के मूल वासी के मध्य भाईचारा करा दिया था । इस आधार पर मुहाजिरीन और अंसार एक-दूसरे के उत्तराधिकारी होते थे । उपरोक्त आयत के अवतरण के बाद यह नियम समाप्त हो गया और उत्तराधिकार का आधार नातेदारी को बनाया गया ।

ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदार से यद्यपि धर्म का संबंध नहीं है, परंतु वंश के कारण वह नातेदार ही हैं, इसलिए उसके अधिकार के लिए वसीयत की जा सकती है । क़तादह, हसन और अता (रह॰) फ़रमाते हैं, "इस आयत में आज्ञा दी गयी है कि मुसलमान अपने ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदार को अपने जीवन में जो चाहे दे सकता है और मरते समय उसके लिए वसीअत कर सकता है ।

उपरोक्त बातों की प्रामाणिकता इस बात से होती है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के पास एक बार कुछ रेशमी जोड़े उपहार में आ गये । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक जोड़ा हज़रत उमर (रज़ि॰) के पास भेज दिया । हज़रत उमर (रज़ि॰) को आश्चर्य हुआ कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने तो मरदों को रेशमी कपड़े पहनने को मना किया है फिर उसे मेरे पास क्यों भेजा है ? उन्होंने जाकर पूछा तो आप (सल्ल॰) ने कहा कि मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं भेजा है बल्कि इसलिए दिया है कि इसे बेचकर उसकी रक़म काम में लाओ या किसी को उपहार में दे दो । आगे वर्णन में यह भी आया है कि हज़रत उमर (रज़ि॰) के एक रिश्ते के भाई इस्लाम नहीं लाये थे वह मक्के में ही रह रहे थे । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने इसको उपहार के रूप में उनके पास भेज दिया ।

हज़रत इमाम नौवी (रह॰) फ़रमाते हैं कि यह वर्णन दलील है इस बात की कि ग़ैर-मुस्लिम नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा दया भाव किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) से वर्णित है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (रज़ि॰) ने अपने एक निकट नातेदार के लिए जो इस्लाम नहीं लाया था वसीयत की थी ।

पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध

नातेदारों के बाद, मनुष्य का सबसे निकटवर्ती संबंध अपने पड़ोसियों से होता है । पड़ोसी से हर समय का साथ रहता है । पड़ोसी अच्छे हों तो मनुष्य अपने बाल-बच्चों, घर और माल से निश्चिंत होकर अपने कारोबार में व्यस्त होता है । इस्लाम की शिक्षा है कि मुसलमान एक अच्छा पड़ोसी बने । उससे उसके पड़ोसियों को कोई कष्ट न पहुंचे । वह उनके दुख-दर्द में काम आये । उनके साथ मधुर संबंध रखे । कुरआन में है कि, "मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार

करो, नातेदारों और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो और पड़ोसी नातेदारों से अपरिचित पड़ोसी से, पहलू के साथी से और मुसाफ़िर से और उन दास-दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हों, एहसान का मामला रखो।''

(क़ुरआन, 4:36)

इस आयत में तीन प्रकार के पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया है–(1) नातेदार पड़ोसी (2) अपरिचित पड़ोसी (3) पहलू का साथी (जिससे थोड़ी देर का साथ हो जाए)। क़ुरआन के कुछ टीकाकारों का कहना है कि रिश्तेदार पड़ोसी का अर्थ है मुस्लिम पड़ोसी और अपरिचित पड़ोसी का अर्थ है ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी।

अनेक हदीसों अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कथनों से मालूम होता है कि आप (सल्ल०) ने पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार रखने की बहुत ताकीद की है। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–''जो व्यक्ति अल्लाह पर और परलोक पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए।''

आप (सल्ल०) ने एक बार सहाबा किराम के समूह में तीन बार फ़रमाया–''अल्लाह की क़सम वह व्यक्ति मोमिन नहीं है ? सहाबा किराम ने पूछा कौन ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ? आप (सल्ल०) ने कहा, ''वह व्यक्ति जिसका पड़ोसी उसके दुष्कृत्य (शरारत) से सुरक्षित न हो।''

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के उपरोक्त कथन सबके लिए हैं, इसमें मुसलमान होने की क़ैद नहीं है ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी भी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए सहाबा किराम अपने ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसियों के साथ भी मधुर व्यवहार रखते थे। हज़रत मुजाहिद (रज़ि०) कहते हैं–''मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि०) के पास था। उनके मुलाज़िम ने एक बकरी ज़बूह की तो उन्होंने कहा, ''इसका गोश्त बांट दो और सबसे पहले हमारे यहूदी पड़ोसी के यहां भेजो।'' एक व्यक्ति ने कहा, ''क्या आप उस यहूदी के यहां भेजेंगे ?'' आपने फ़रमाया, ''मैंने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते हुए सुना है कि हमें आशंका होने लगी कि आप उसे विरासत में अधिकार दे देंगे।''

व्यावहारिक सामाजिक संबंध

जब कुछ लोग एक जगह रहते-बसते हैं तो उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। आपसी मधुर संबंध के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति एक-दूसरे का ध्यान रखें। अपने पड़ोसियों, मिलने वालों और साझीदारों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, उनकी ख़ुशियों में साथ दें और उनके दुख को अपना दुख समझें। उनकी सहानुभूति, भाईचारा, सांत्वना में कोई कमी न उठा रखें। इस्लाम मानवीय मनोवृत्ति का पूरा आदर करता है। वह ग़ैर-मुस्लिमों से मानवीय मित्रता में न यह कि कोई हानि व त्रुटि समझता है बल्कि वह उनकी ताकीद करता है। वह अपने मानने वालों के लिए अनिवार्य करता है कि अगर उनके ग़ैर-मुस्लिम संबंधी बीमार हों तो उनकी इयादत (कुशलक्षेम) करें और उनका देहांत हो जाए तो उनके परिवार की ताज़ियत करे और आवश्यक हो तो जनाज़े में भी शामिल हों।

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से वर्णित है कि एक यहूदी लड़का हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा किया करता था। एक बार वह बीमार पड़ गया तो आप (सल्ल०) उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गये।

हज़रत सईद बिन मुसइब (रज़ि०) अपने पिता से वर्णित करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने चचा जनाब अबू तालिब की मृत्यु के समय उनकी इयादत की थी।

अनेकों उदाहरणों में है कि जब जनाब अबू तालिब की मृत्यु हुई और उनके पुत्र हज़रत अली (रज़ि०) ने आकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को इसकी सूचना दी आपने उनको आदेश दिया कि जाकर उनको दफ़न करके आओ। संभवतः हज़रत अली (रज़ि०) को कुछ संकोच हुआ और उन्होंने इसका इज़हार किया कि उनका देहांत शिर्क की दशा में हुआ है। परंतु आपने फिर फ़रमाया, ''जाओ उन्हें दफ़न करके सीधे मेरे पास आओ।'' हज़रत अली (रज़ि०) कहते हैं कि जब मैं अपने पिता को दफ़न करके आपकी सेवा में वापस आया और आपको सूचित किया तो आपने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

हज़रत सईद बिन जुबैर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि एक मुसलमान के पिता यहूदी थे। उसका देहांत हो गया तो उस मुसलमान ने उसके जनाज़ा (अर्थी) में भाग नहीं लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, ''उसने सही नहीं किया उसे अपने पिता के जीवन काल में ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी और मृत्यु के बाद उसके कफ़न-दफ़न में हिस्सा लेना चाहिए था।''

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKING A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) सहाबा किरामा के साथ बैठे थे वहां से एक यहूदी का जनाज़ा (अर्थी) गुज़रा । उसे देखकर आप खड़े हो गये सहाबा किराम ने कहा, ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०) यह तो यहूदी की अर्थी है ।'' आपने फ़रमाया, ''कोई भी जनाज़ा (अर्थी) देखो तो खड़े हो जाओ ।''

हज़रत सुहैल बिन हनीफ़ (रज़ि०) बिन सअद (रज़ि०) क़ादसिया में एक स्थान पर बैठे हुए थे, वहां से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये और सभी साथियों से कहा यह तो ज़िम्मी का जनाज़ा है । उन दोनों ने फ़रमाया, ''इसी तरह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) भी एक मौक़े पर जनाज़ा देखकर खड़े हो गये थे । आपको बताया गया यह तो यहूदी का जनाज़ा है तो आपने फ़रमाया, ''क्या इसमें जान नहीं होती ।''

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कुछ सहाबा के साथ अपनी मां की क़ब्र की ज़ियारत की । वहां आप (सल्ल०) को रोना आ गया और आप (सल्ल०) को देखकर सहाबा किराम की आंखों से भी आंसू आ गये ।

ताबईन में हज़रत अता बिन अबी रहायह (रह०) और हज़रत अम्र बिन दीनार (रह०) फ़रमाते हैं, ''यदि किसी मुसलमान की किसी ग़ैर-मुस्लिम से नातेदारी हो तो उसे उसकी इयादत (कुशलक्षेम) करनी चाहिए और देहांत हो जाने पर उसके जनाज़े में भी सम्मिलित होना चाहिए । हज़रत सुलैमान बिन मूसा (रह०) फ़रमाते हैं, ''नातेदारी होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनकी इयादत (कुशलक्षेम) की जा सकती है ।

ग़रीबों की आर्थिक सहायता

समाज में कुछ लोग निर्धन, मुहताज, बेकस और लाचार होते हैं अत: आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें और उनके काम आएं । उनका सहारा बनें । इस्लाम इस दशा में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में कोई विभाजन नहीं करता । वह ग़ैर-मुस्लिमों पर भी आर्थिक सहायता करने का आदेश देता है, यही नहीं बल्कि साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कहता है कि ग़ैर-मुस्लिम पर केवल अल्लाह की कृपा प्राप्त करने के लिए ख़र्च किया जाए । उनसे किसी सांसारिक लाभ की आशा न रखी जाए और उन्हें आर्थिक सहायता के लोभ में इस्लाम स्वीकार करने का माध्यम न बनाया जाए । कुरआन में अल्लाह फ़रमाता है–

''ऐ नबी ! लोगों को रास्ते पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं । मार्ग पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है चलाता है । और दान में जो कुछ धन तुम ख़र्च करते हो वह तुम्हारे अपने लिए भला है । आख़िर तुम इसीलिए तो ख़र्च करते हो कि अल्लाह की ख़ुशी प्राप्त हो । तो जो कुछ माल तुम दान में ख़र्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक़ कदापि मारा न जाएगा ।

उपरोक्त आयत आर्थिक सहायता के संदर्भ में अवतरित हुई है । इससे पहले की आयत में ईमान वालों को संबोधित करके कहा गया है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे खुले-छुपे हर प्रकार से उसके ज़रूरतमंद बन्दों पर व्यय करो और शैतान के बहकावे में निर्धनता के भ्रम में मत पड़ो । और अल्लाह को ख़ुश करने के लिए अपना अच्छा धन व्यय करो । उसके लिए ख़राब माल छांट कर मत रखो । इसी संदर्भ में उपरोक्त आयत में कहा जा रहा है कि जो कुछ ख़र्च करो उसमें अल्लाह की प्रसन्नता को ध्यान में रखो, इसका लाभ तुम्हें अवश्य होगा और परलोक में इसका भरपूर बदला मिलेगा । जो भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता के पात्र हैं उनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है । यह तुम कदापि न सोचो कि उन लोगों पर उस समय ख़र्च करेंगे जब वह इस्लाम क़बूल (स्वीकार) कर लेंगे । उन्हें इस्लाम में लाना तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है । अल्लाह ही जिसको चाहेगा मार्गदर्शन करेगा । तुम्हारा काम यह है कि चाहे वे इस्लाम स्वीकार करें या न करें यदि वे सहायता के पात्र हैं और अल्लाह ने तुम्हें धन से संपन्न किया है तो उनकी सहायता करो ।

उपहारों का आदान-प्रदान

एक अच्छे सामाजिक रहन-सहन का एक महत्वपूर्ण साधन उपहारों का आपस में आदान-प्रदान है । एक दूसरे को उपहार भेंट करने में समरसता और निकटता पैदा होती है और संबंध में स्थिरता उत्पन्न होती है । इस्लाम इस संबंध में भी मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में भेद नहीं करता है । ग़ैर-मुस्लिमों को उपहार दिया जा सकता है और उनका उपहार लिया जा सकता है ।

हज़रत अबू हमीदुस्साद़ी फ़रमाते हैं कि ईला के राजा ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में एक ख़च्चर उपहार में भेजा इसके बदले में आप (सल्ल०) ने उपहार में एक चादर

उसके पास भेजी । दोमतह के राजा अकीदर ने जो ईसाई था आपकी सेवा में एक रेशमी कपड़ा भेजा । अस्कन्दरिया (मिस्र) की शासक मक़ूकस के पास जब हज़रत हातिब बिन अबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पत्र लेकर गये थे तो उसने भी बहुत से उपहार आपकी सेवा में भेजे थे । हज़रत बिलाल (रज़ि०) से उल्लिखित है कि एक मौक़ा पर फिदक के शासक ने चार ऊंटनियां ज़ो अनाज और कपड़ों से लदी हुई थीं हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में उपहारस्वरूप भेजी थीं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने यह सभी उपहार जो ग़ैर-मुस्लिम शासकों की ओर से भेजे गये थे स्वीकार किये । इससे पहले लिखा जा चुका है कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बक्र की मां जो इस्लाम नहीं लायी थीं जब उनसे मिलने आयीं, तो उन्होंने रसूल (सल्ल०) से पूछकर उनका आदर सत्कार किया था और उन्हें उपहार देकर वापस किया था । हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि०) अपने एक ग़ैर-मुस्लिम भाई के पास जो मक्का में रह रहे थे उपहार भेजा था ।

सम्मान एवं सत्कार

एक अच्छे समाज के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए । उनका सम्मान किया जाए । उन्हें अच्छे ढंग से संबोधित किया जाए । और उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए कि उन्हें अपमान या ओछेपन का आभास हो । इस्लाम समाज के सभी वर्गों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का आदेश देता है । वह जहां मुसलमानों के साथ भाईचारा, प्रेम एवं अपनत्व का संबंध बनाए रखने की शिक्षा देता है वहीं अन्य धर्मावलंबियों के संबंध में आदेश देता है कि उनका आदर-सत्कार किया जाए । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कथनों के अनुसार ग़ैर-मुस्लिमों को सलाम किया जा सकता है, उनके सलाम का उत्तर दिया जा सकता है–उनसे मुसाफ़ा (हाथ मिलाना) किया जा सकता है, उनके लिए दुआ (आशीर्वाद) के शब्द कहे जा सकते हैं । अभिप्राय यह है कि आदर-सत्कार के सभी कार्य किये जा सकते हैं ।

हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि०) से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का गुज़र ऐसे समूह की ओर से हुआ, जहां मुसलमानों के अतिरिक्त यहूदी और मुशरिक भी थे, आप वहां पहुंचे तो आपने सलाम किया । सहाबा किराम में नियम व परंपरा थी कि जिससे भी भेंट होती उसे सलाम करते थे और इस नियम में किसी से भेदभाव नहीं करते थे । वे दूसरों को भी इसी नियम पर चलने की आग्रह करते थे ।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से उल्लिखित है कि, "सलाम का उत्तर दो चाहे सलाम करने वाला यहूदी हो या ईसाई या मजूसी ।" साथ ही उन्होंने यह भी फ़रमाया इसलिए कि अल्लाह का फ़रमान है–"और जब कोई आदर के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से या कम से कम उसी तरह उसका जवाब दो ।"

हज़रत अबू इमामा (रज़ि०) की रास्ते में चलते हुए किसी से भेंट होती तो उसे सलाम करते, चाहे मिलने वाला मुसलमान होता या कोई और, छोटा होता या बड़ा, उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि, "हमें सलाम करने का आदेश दिया गया है ।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) के बारे में भी है कि वे सलाम करने में पहल करते थे चाहे मिलने वाला मुसलमान हो या ग़ैर-मुस्लिम ।

अरब के नाम के साथ कुन्नियत (पिता या पुत्र के नाम से पहचान) प्रचलन था और बहुधा प्रतिष्ठित व्यक्ति को आदर से नाम की जगह कुन्नियत से पुकारा जाता था । ग़ैर-मुस्लिमों को भी इस आदर व प्रतिष्ठा का पात्र समझा गया है । हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि०) से वर्णित है कि रसूल (सल्ल०) एक बार एक ऐसी सभा में गये जिसमें अब्दुल्लाह बिन उबई मौजूद था । यह उस समय की बात है जब उसनें इस्लाम से द्वेष व शत्रुता को प्रकट नहीं किया था । आप (सल्ल०) को देखकर उसने कहा, "हमारी सभा में आकर हमें कष्ट न पहुंचाया कीजिए ।" रसूल (सल्ल०) ने इस बात की शिकायत क़बीला ख़ज़रत के सरदार हज़रत सअद बिन इबादह (रज़ि०) से करते हुए फ़रमाया, "ऐ सअद ! देखिये अबू हबाब कैसी बातें कहते हैं (अबू हबाब अब्दुल्लाह बिन अबी की कुन्नियत थी)। एक बार सफ़वान बिन उमैया रसूलुल्लाह (सल्ल०) से भेंट करने गये । उस समय तक उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था । आप (सल्ल०) ने उन्हें देखकर कहा अबू वहब आइये स्वागत है ।"

हज़रत क़तादह (रज़ि०) कहते हैं कि रसूल (सल्ल०) ने एक ईसाई को "अबू हारिस" कहकर संबोधित किया था । यह विचार और कल्पना उचित नहीं है कि ग़ैर-मुस्लिम

से घृणा करने और उसके साथ तिरस्कृत व ज़लील करने की इस्लाम में शिक्षा दी गयी है । अपितु इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ग़ैर-मुस्लिम सहानुभूति के पात्र हैं और उन्हें अनुकूल आशीर्वाद दे सकते हैं ।

क़बीला दौस के एक व्यक्ति हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र (रज़ि॰) ने इस्लाम स्वीकार किया । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उन्हें अपने क़बीले में वापस जाने और उनमें इस्लाम के प्रचार करने का आदेश दिया । परन्तु उनके क़बीले वालों ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया बल्कि सरकशी (उदंडता) का व्यवहार किया । हज़रत तुफ़ैल (रज़ि॰) ने आकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सेवा में निवेदन किया, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ! क़बीला नाफ़रमानी और सरकशी पर डटा है उस पर आप बद्दुआ कर दीजिए । लोगों को भ्रम हुआ कि आप (सल्ल॰) बद्दुआ कर देंगे । परन्तु आप (सल्ल॰) ने कहा, "ऐ अल्लाह ! दौस को निर्देश दे और उन्हें सामर्थ्य दे कि मेरे पास अनुयायी बनकर आ जाएं ।"

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) फ़रमाते हैं कि एक मौक़े पर रसूल (सल्ल॰) से किसी ने कहा कि बहुदेववादियों के लिए आप अभिशाप कर दीजिए तो आपने इस प्रकार फ़रमाया, "मेरा अवतरण इसलिए नहीं हुआ कि धिक्कार (लानत) करता फिरूं अपितु मैं सबके लिए दया और रहमत बनाकर भेजा गया हूं ।"

हज़रत अनस (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि रसूल (सल्ल॰) की सेवा में एक यहूदी ने पीने के लिए दूध दिया आप (सल्ल॰) ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और आशीर्वाद दिया, कहा अल्लाह इसे मनोहर और रूपवान रखे ।

लेन-देन के मामले

समाज में व्यक्तियों को क़दम-क़दम पर एक-दूसरे की मदद, सहारा व ज़रूरत की आवश्यकता होती है । और आपस में विभिन्न प्रकार के लेन-देन करने पड़ते हैं । ऐसा न हो तो जीवन व्यतीत करना ही दुर्लभ हो जाए । धर्मों की भिन्नता का इस्लाम इस संबंध में रुकावट नहीं बनाता है । जिस समाज में अनेक धर्मों के मानने वाले बसते हैं वह एक-दूसरे के काम आ सकते हैं और एक-दूसरे से लेन-देन कर सकते हैं । उनसे रेहन, कृषि एवं अन्य व्यापार कर सकते हैं । बिना किसी संकोच और घृणा के उनके निर्माण की वस्तुएं प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अपनी वस्तुएं विक्रय कर सकते हैं । उनके यहां पारिश्रमिक पर मज़दूरी कर सकते हैं और उन्हें अपने यहां काम पर लगा सकते हैं अर्थात हर प्रकार के व्यापार व कारोबार ग़ैर-मुस्लिमों के साथ किये जा सकते हैं । धार्मिक भिन्नता से कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

हज़रत आइशा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि रसूल (सल्ल॰) अपने-जीवन के अंतिम दिनों में एक यहूदी के पास अपनी कवच (ज़िरह) रेहन रखकर उससे अपने घर वालों के लिए कुछ अनाज लिया था ।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि एक बहुदेववादी रसूल (सल्ल॰) के पास कुछ बकरियां लेकर आया । आप (सल्ल॰) ने उससे पूछा क्या बेचने के लिए है या उपहार है ? उसने उत्तर दिया बेचने के लिए हैं आपने उससे एक बकरी ख़रीदी ।

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि॰) से वर्णित है कि रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ने ख़ैबर पर विजय पाने के बाद वहां की भूमि यहूदी के पास इस अनुबंध के साथ रहने दी कि वे इससे कृषि करेंगे और उन्हें पैदावार का आधा मिलेगा ।

हिजरत के यात्रा की प्रसिद्ध घटना है कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) ने मार्गदर्शन के लिए क़बीला बनदैल के एक ग़ैर मुस्लिम की सेवाएं ली थीं जिसका नाम इतिहास की पुस्तिकों में अब्दुल्लाह बिन अरकित या अक़रत था और उस पर विश्वास करके अपनी सवारियां उसके हवाले कर दी थीं फिर बाद में उसके नेतृत्व में पूरी यात्रा की ।

हज़रत असअल बिन अबीश अशा बयान करते हैं कि मजूसी स्त्री हज़रत इबराहीम नख़ई (रह॰) की सेवा करती थी और उनका खाना तैयार करती थी । इसी प्रकार क़ासिमुल अरज़ (रह॰) बयान करते हैं कि हज़रत सईद बिन जाबिर (रज़ि॰) ने असफ़हान में कई साल गुज़ारे । एक मजूसी लड़का उनकी सेवा करता था उनका खाना बनाता था और उन्हें क़ुरआन उठा कर देता था ।

हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि॰) अपनी एक घटना वर्णित करते हैं कि मैं लोहार था । मैंने मक्का में आस बिन वायल (प्रसिद्ध मूर्तिपूजक) का कुछ काम किया था ।

इमाम नववी (रह॰) एक हदीस की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं, "तमाम मुसलमानों का इस बात पर एक मत है कि अहले ज़िमा और अन्य ग़ैर-मुस्लिमों से लेन-देन किये

जा सकते हैं यदि उनमें कोई हराम चीज़ शामिल न हो ।

व्यापारिक व कारोबारी व्यवहारों से हट कर भी अन्य बातों में मनुष्य को दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है और उसे पूरा करने में उनकी सहायता लेता है इस्लाम की शिक्षा यह है कि बाहुल्य धार्मिक समाज में रहने-बसने वाले लोग एक-दूसरे के सहायक हो सकते हैं और होना भी चाहिए । एक मुसलमान अपने ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसियों, मित्रों और मिलने-जुलने वालों के सहायक बन सकते हैं । उनके काम आ सकते हैं और समय पड़ने पर उनकी सहायता भी ले सकते हैं ।

उमैया बिन ख़लफ़ जो मक्का के सरदारों में से था और इस्लाम नहीं लाया था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि॰) से उसकी मित्रता थी । मदीना हिजरत करने के बाद बद्र के युद्ध से पहले उन्होंने उमैया से लिखित समझौता किया कि, "तुम मक्का में अपने लोगों के मध्य मेरी सुरक्षा करोगे और मैं मदीना में अपने लोगों के मध्य तुम्हारी सुरक्षा करूंगा ।" इसी समझौते की पासदारी में बद्र के युद्ध के समय उन्होंने उसे बचाने का प्रयत्न किया था ।

पीड़ितों और कमज़ोरों की सहायता

समाज में कुछ लोग दबे-कुचले होते हैं । बहुधा वह शक्ति व सत्ता के नशे में चूर लोगों के अत्याचार का शिकार हो जाते हैं । ऐसी दशा में समाज़ के न्यायप्रिय प्रभावी लोगों का उत्तरदायित्व है कि ऐसे कमज़ोर और निर्बलों की सहायता करें । उन्हें अत्याचारियों के चंगुल से मुक्ति दिलाएं और उन्हें सम्मान व प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत करने का अवसर दिलाएं । इस्लाम अपने मानने वालों को आदेश देता है कि मज़लूम कोई भी हो उनके धर्म का हो या अन्य धर्म का हो । उनके देश का हो या विदेश का हो वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े और उन्हें अत्याचार, उत्पीड़न से छुटकारा दिलाएं । हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि॰) एक विस्तृत वर्णन में कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने हमें सात बातों से रोका है और सात बातों का आदेश दिया है । आप (सल्ल॰) ने जिन बातों का आदेश दिया है उनमें से एक है, "पीड़ितों की मदद करो" इस हदीस की व्याख्या में इमाम ख़ताबी (रह॰) फ़रमाते हैं कि पीड़ितों की मदद करना वाजिब है चाहे वे मुसलमान हों या ज़िम्मी । उसे अत्याचार से बचाने के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जाएगा । चाहे ज़ुबान के द्वारा या अमल के द्वारा या अन्य किसी प्रकार ।"

इस्लाम ने अनेक धर्म वालों के साथ रवादारी, सद्व्यवहार, हमदर्दी, सहायता, मधुर सामाजिकता के जो अनुदेश दिये हैं यदि उनके अनुसार आचरण किया जाए तो बाहुल्य धार्मिक समाज के व्यक्तियों के मध्य घृणा, द्वेष, वैमनस्य और बदगुमानी नहीं बढ़ेगी अपितु आपसी विश्वास और शुभ चिंतक का वातावरण पैदा होगा और सभी हंसी-खुशी मिल-जुलकर रह सकेंगे ।

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

'जीव-हत्या' की वास्तविकता

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

मांसाहार और क़ुरबानी के सिलसिले में 'जीव-हत्या' भी एक सवाल के रूप में सामने आता रहता है । कुछ आक्षेपकर्ता जीव-हत्या को क़ुरबानी से जोड़कर यहां तक कह देते हैं कि क़ुरबानी से जीव-हत्या को बढ़ावा मिलता है । अत: क़ुरबानी के औचित्य को जानने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जीव-हत्या की परिभाषा समझ ली जाए । जीव-हत्या का सीधा अर्थ है, वह चीज़ अथवा प्राणी जिसमें जीवन और चेतना पायी जाए अथवा दोनों में से कोई एक चीज़ पायी जाए, उसको अनाधिकार नष्ट कर दिया जाए अथवा उसका जीवन समाप्त कर दिया जाए । यह एक दुखद स्थिति है कि आज अधिकतर लोग जीव-हत्या के सही भावार्थ को समझने की चेष्टा नहीं करते । इसके लिए वे खुद क़सूरवार नहीं हैं, बल्कि मीडिया और आसपास के भ्रामक वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक बात है ।

हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें उन पशु-पक्षियों को ज़िब्ह करने में ही जीव-हत्या नज़र आती है, जिनका मांस मानव-शरीर के लिए हर प्रकार से लाभकारी है और शरीर की विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । शायद ऐंसे लोगों की नज़र इस ओर नहीं जाती कि उनकी परिभाषा से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अनगिनत जीव-हत्याएं करता है । अब वनस्पति वैज्ञानिकों ने अनेक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है और उनमें चेतना का अंश भी मिलता है । प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने सबसे पहले यह खोज की थी, लेकिन अब तो उनकी खोज के अनेकानेक प्रमाण जुट गये हैं । ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य प्रतिदिन शाक-सब्ज़ियों का जो सेवन करता है, तो एक ही साथ अनेक जीव रूपी शाक-सब्ज़ियों की हत्याएं कर डालता है । यही वह कारण है कि जैन समाज के एक वर्ग के कुछ लोग शाक-सब्ज़ी का सेवन नहीं करते । वे हवा में फैले कीटाणुओं से बचने के लिए मुंह पर कपड़े बांधते हैं कि कहीं कोई कीटाणु शरीर के अन्दर चला जाए और जीव-हत्या हो जाए ।

कुछ लोग ज़मीन पर इसलिए नहीं चलते कि कहीं चींटियां और कीड़े-मकोड़े न मर जाएं एवं जीव-हत्या न हो जाए । स्पष्ट है कि कितना ही बचा जाए कथित "जीव-हत्या" से बचा नहीं जा सकता और यह अव्यावहारिक तथ्य है कि मनुष्य अपने जीवन और दृष्टिकोण को अकारण संकुचित करे और अपने हाथ-पैर बांध ले ।

यहां पर यह कहना अनुचित न होगा कि जो लोग तथाकथित "जीव-हत्या" से बचने का प्रपंच करते हैं, वे "जीव-हत्या" से कदापि नहीं बच पाते । माना कि शाक-सब्ज़ी नहीं खाते, दही नहीं खाते कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं और मांस-मछली का सेवन नहीं करते और ज़मीन पर पैर नहीं रखते, लेकिन वे जाने-अनजाने क्या हवा में खुलकर सांस नहीं लेते, ज़िसमें कीटाणु रह सकते हैं । फिर बीमार पड़ने पर शरीर के कीटाणुओं को मारने के लिए एंटीबायटिक जैसी दवाएं लेने से कहां कोई बच पाता है । पेट के अलाभकारी कीड़ों को मरवाने की दवाएं खाने की अनिवार्यता अलग से है । घर से मच्छर, दीमक, चूहा और अन्य जीव-जन्तु भगाने के लिए नाना प्रकार के पेस्टीसाइड्स और ज़हरीले पदार्थों का इस्तेमाल करने एंवं करवाने से कौन बच पाता है और खेती-किसानी करने वाले तो फ़सल बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कीड़े-मकोड़ों और जीव-जन्तुओं को मारकर खुलेआम जीव-हत्याएं करते रहते हैं, खेत जोतकर पता नहीं कितने जीवों के प्राण ले लेते हैं, इसके बाद कीट-नाश का उपक्रम साधा जाता है, फिर खाद्यान्न उत्पादन हो पाता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी नज़र इस ओर नहीं जाती !

इससे यह मालूम हुआ कि जीव-हत्याओं के बाद खाद्यान्न का उत्पादन होता है और शाक-भाजी तो जीवंत हैं । पेड़-पौधों के बीज अपने आप में तो जीवंत नहीं होते, लेकिन अपने अन्दर इसकी क्षमता अवश्य रखते हैं । हिन्दू धर्म की यह उक्ति भी समीचीन है कि "जीव: जीवस्य भोजनम्" (जीव ही जीव का आहार है)।

मनुष्य के लिए मांसाहार उसकी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं है । वह मां के पेट में सबसे पहले मांस-रस का ही महीनों सेवन करता है और जन्म के बाद मांसाहार से अपने संबंध यदि तोड़ लेता है, तो यह उसकी प्रकृति के प्रतिकूल बात हुई । हां, कुछ पशु-पक्षियों के मांसों के सेवन से मनुष्य का शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, अत: इनसे बचना अनिवार्य है । मृत पशु-पक्षियों और सही तरीक़े से ज़िब्ह (वध) न किये हुए पशु-पक्षियों के भी मांस दूषित होते हैं, अत: इनका सेवन नहीं करना चाहिए । आयुर्वेद के ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं ।

इस्लाम मनुष्य को अल्लाह द्वारा पैदा किये गये जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव ठहराता है । उसे इस बात का अधिकार है कि वह अपने लिए बनायी गयी सृष्टि की प्रत्येक चीज़ का मर्यादा और सीमा में रहकर इस्तेमाल करे । इस्लाम किसी भी पशु-पक्षी को प्रताड़ित करने से रोकता है, सिर्फ़ मानव-शरीर के लिए उपयोगी मांस वाले पशु-पक्षियों के ही आवश्यकतानुसार मांस सेवन हेतु ज़िब्ह करने की अनुमति देता है । साथ ही वह ज़िब्ह का तरीक़ा नियत करता है, जिससे जानवर को कम से कम कष्ट हो ।

इस्लाम के साथ ही दूसरे बड़े धर्मों में मांसाहार की शिक्षा मिलती है । मनुस्मृति में यहां तक कहा गया है कि, ''जो मनुष्य किसी श्राद्ध या मधुपर्क यथाविधि नियुक्त होने पर भी मांस नहीं खाता, वह मरने के अनन्तर 21 जन्म तक पशु होता रहता है (5:35) संत विनोबा भावे जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''गीता प्रवचन'' में लिखते हैं–

''भवभूति के 'उत्तर राम चरित' में एक प्रसंग आया है । वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ ऋषि आये । उनके स्वागत में एक छोटा-सा गाय का बछड़ा मारा गया, तो एक छोटा लड़का बड़े लड़के से पूछता है : 'आज हमारे आश्रम में एक दाढ़ी वाला आया है, उसने हमारा बछड़ा मार डाला ।' बड़ा लड़का उत्तर देता है : 'अरे वे तो वशिष्ठ ऋषि हैं, ऐसा मत बक ।' ('गीता प्रवचन, अध्याय 7, पृ॰ 256)

रही प्रश्न क़ुरबानी से जीव-हत्या का, तो उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि सीमित अर्थ वाली जीव-हत्या से कोई भी इन्सान बच नहीं सकता । यदि वह इससे बचने की कुचेष्टा करता है, तो अपने आपको इतना सीमत कर डालेगा कि उसका इन्सान होना ख़ुद उसके लिए बड़ा बोझ होगा, जबकि इन्सान ईश्वर द्वारा बनायी गयी सृष्टि-रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना है । इस्लाम ने अपनी इन रचनाओं पर इन्सान को प्राथमिकता दी है, उसे अल्लाह के सिवा किसी और की दासता से मुक्त कर दिया है । इस्लाम अपने मानने वालों से यह अपेक्षा करता है कि वे अल्लाह ही की बन्दगी करें, अपने अन्दर तक़वा व ईशभय पैदा करें और उसके आदेशों-निर्देशों का पालन करें, यहां तक कि उसके मार्ग में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने से न हिचकें । क़ुरबानी का मूल उद्देश्य यही है । अल्लाह के मार्ग में क़ुरबानी इस्लाम के पूर्व से चली आ रही है ।

अल्लाह ने अपने पैग़म्बर हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) को अपने प्रिय पुत्र इस्माईल (अलैहि॰) की क़ुरबानी पेश करने का स्वप्न में संकेत दिया, जिसके लिए वे और उनके पुत्र सहर्ष तैयार हो गये । इबराहीम (अलैहि॰) अपने बेटे के सहयोग से इस कठिन परीक्षा में खरे उतरे । अल्लाह ने उनकी त्याग-भावना की परीक्षा ली और उनके बेटे इस्माईल (अलैहि॰) का जीवन सुरक्षित रखा । इसी घटना की याद को ताज़ा करने के लिए और आम मुसलमानों में क़ुरबानी की भावना विकसित करने एवं बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष क़ुरबानी का त्योहार ईदुल अज़हा मनाया जाता है ।

वास्तव में हत्या उसे कहते हैं, जिसे नाहक़ की जाए । यह पूरी सृष्टि मनुष्य के लिए ही पैदा की गयी है । किसी दुर्घटना में इन्सानी जान की क्षति को हत्या नहीं कहा जाता, जब तक कि यह न सिद्ध हो जाए कि दुर्घटना किसी ने जान-बूझकर करायी । इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा का शिकार होने वालों को ''हत्या'' नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बात है । इसी प्रकार क़ुरबानी प्रकृति से हटी हुई बात नहीं है । इन्सान को सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का मर्यादा-सीमा के अन्दर उपयोग और उपभोग करने का अधिकार है । इस्लाम किसी पशु-पक्षी के भी साथ ज़्यादती करने से रोकता है, हदीस में है कि एक स्त्री को बिल्ली को प्रताड़ित करने के अपराध में जहन्नम की सज़ा मिली । लेकिन उनका आवश्यकतानुसार सीमा के अन्दर उपयोग करने की अनुमति देता है, यहां तक कि मानव शरीर के लिए उपयोगी मांसधारी पशु-पक्षियों को ही आवश्यकतानुसार ज़िब्ह करने की अनुमति देता है, इसमें जीव-हत्या का प्रश्न कहां उठता है ?

इस्लाम के साथ ही दूसरे बड़े धर्मों में भी पशुओं की क़ुरबानी अथवा बलि का प्रावधान मौजूद है । हिन्दू धर्म भी

इसका अपवाद नहीं है । बलि (कुरबानी) का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में आया है, यथा 1-70-9, 5-1-10, 8-100-9, 7-6-5, 10-173-6, 6-11-17 । अन्य ग्रंथों में भी बलि का उल्लेख है ।

गांधी जी लिखते हैं–"वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, इतिहास एक ही समय में सामने नहीं आये । इनमें से हर एक का विकास विशेष कालों की आवश्यकताओं के आधार पर हुआ और इसी कारण इनमें आपसी टकराव होता है...क्योंकि जानवरों की बलि का कार्य एक समय में सामान्य रूप से पाया जाता था । ...एक समय में हम मांस खाते थे । क्या आज भी हम ऐसा करना चाहते हैं ।"(Hindu Dharma, p. 19)

उल्लेखनीय है कि गांधी जी शाकाहारी थे, लेकिन उन्हें सत्य स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है । स्वामी विवेकानन्द कहते हैं–'वे बलि की एक चिता बनाते हैं । कुछ पशुओं का वध करते हैं, उनका मांस सीख़ पर भूनते हैं और मांस इन्द्र को भेंट कर देते हैं ।" (Hinduism of Vedas)

हिन्दू जीवन व्यवस्था पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति है । इसमें पशु-पक्षियों के मांस खाने का बयान बहुत स्पष्ट रूप से आया है–

यज्ञ के निमित्त अथवा स्वजनों के भरण-पोषण के लिए प्रशस्त पशु-पक्षियों का वध करने में दोष नहीं है, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने ऐसा किया था । (5:22)

इस स्मृति में बहुत-सा मंत्र मांसाहार के बारे में आये हैं । इसमें भी हलाल (विहित) और हराम (अविहित) मांस का वर्णन किया गया है । गौतम स्मृति में सूअर का भी मांस खाने से मना किया गया है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र (2-2-5-15) में भी ऐसी ही बात कही गयी है । इस धर्मसूत्र (2-3-7-4) में लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है । वसिष्ठ धर्मसूत्र (11-34) में वर्णित है कि "श्राद्ध अथवा देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यति (ब्राह्मण) नहीं खाता है, तो वह असंख्य वर्षों तक नरक में रहता है । स्पष्ट है कि बिना ज़िब्ह किये कोई कैसे मांस खा सकता है, लेकिन यह ज़िब्ह "हत्या" नहीं है । आयुर्वेद की दृष्टि में ज़िब्ह किया हुआ मांस अमृत की तरह रोगनाशक है । इस अर्थ को बताने वाला श्लोक आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ में इस प्रकार है–

"सद्योहतस्य मांस स्याद्व्याधिधाति यथाऽमृतम् ।"

अब रही यह बात कि वर्तमान समय में कुछ शरीर-विज्ञानी और डॉक्टर मांस को शरीर के लिए हानिकारक बताने लगे हैं, तो यह सच है कि कुछ शरीर-विज्ञानियों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है, लेकिन वे यह नहीं सिद्ध कर पाते हैं कि मांस में प्रोटीन और अन्य तत्व नहीं होते । यहां पर समझने की बात यह भी है कि पश्चिम में कुछ डॉक्टरों ने मांसाहार के विरुद्ध जो निष्कर्ष निकाला है, वह अपने ही यहां सर्वेक्षण करके निकाला है, जहां पर बड़े पैमाने पर सूअर का मांस (पोर्क) खाया जाता है । स्पष्ट है, सूअर का मांस शरीर के लिए एकदम अनुपयोगी और बहुत हानिकारक है । यह बात अनेक बार सिद्ध की जा चुकी है । इसके इस्तेमाल से बहुत-सी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं । अत: इसका त्याग ही विकारों का हल है ।

भारत में जो एक-दो डॉक्टर मांसाहार विरोधी नतीजे पर पहुंचते हैं, वे पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं और विशेष रूप से एक धर्म विशेष के दुष्प्रचार अथवा किसी अभियान के शिकार हो जाते हैं । हां, यह बात तो सहज रूप से कही जा सकती है कि मुरदार मांस अथवा सड़े-गले मांस खाने से अवश्य बीमारियां पैदा हो जाती हैं । यही बात दूसरे भोज्य पदार्थों के सिलसिले में है । मनुस्मृति (5-7) में है–"जो जानवर मंत्र से सिद्ध न किया गया हो, उसका मांस न खाएं ।"

इस्लाम धर्म में भी जानवर ज़िब्ह करने से पूर्व छुरी गर्दन पर रखते समय अल्लाह का नाम लेना और संबंधित दुआ पढ़नी अनिवार्य है, तभी मांस भोज्य होता है । मांस के फ़ायदे आयुर्वेद में भी गिनाये गये हैं । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ "भाव प्रकाश निघण्टौ" में है–

मांस वातहरं सर्व बृहणं बलपुष्टिकृत् ।
प्रीणनं गुरु ह्यद्यण्च मधुर रसपाकयो: ।।

अर्थात, अच्छे मांस वायुनाशक, धातुवर्धक, बलवर्धक, तृप्तिदायक, हृदय को लाभदायक, रस और पाक में मधुर हैं।

अत: चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी मांसाहार मानव शरीर के लिए लाभकारी है । वैसे भी यह मानव-प्रकृति के अनुकूल है । इसके गुणों को जानकर ही आर्य समाज का एक वर्ग (कॉलेज पार्टी) मांसाहारी रहा है । (हिन्दू धर्मकोश, राजबली पांडे, पृ॰ 91) आज भी दुनिया में ऐसे भू-भाग हैं, जहां भोजन के रूप में मांस ही उपलब्ध है । जीवों के कथित प्रेमियों को चाहिए कि वे निर्दोष इन्सानों के संहार को रोकने में अपनी ऊर्जा लगाएं, ताकि उनका श्रम मानवता के हित में लग सके ।

विचार बनाम हिंसा

■ डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

पिछले दिनों टीम अन्ना के एक सदस्य के कश्मीर के बारे में दिय गये उस बयान पर हिंसक प्रतिक्रिया हुई, जिसमें कहा गया था कि जो कश्मीरी लोग भारत से अलग होना चाहते हैं, उन्हें अलग होने देना चाहिए, परन्तु ऐसे बयान से यदि कोई सहमत नहीं तो इसका विरोध तर्क और तथ्यों के आधार करना चाहिए, न कि बयान देने वाले पर हमला करके । हमले से आप आदमी को मारते-पीटते हैं, पर बयान को ग़लत सिद्ध नहीं करते । वह अपनी जगह यथावत मौजूद रहता है और मार-पीट एक निरर्थक हरकत बनकर रह जाती है । दूसरे हिंसक प्रतिक्रिया यह भी दर्शाती है कि आपके पास बयान के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए वैचारिक और तथ्यात्मक सामग्री का नितांत अभाव है, आप वैचारिक दारिद्रय के मारे हुए हैं ।

तीसरे, आज आप मार-पीट करते हैं, कल को बयानबाज़ी करने वाले मार-पीट करेंगे और इस तरह दुष्चक्र चलता रहेगा । यह न किसी समस्या का समाधान है और न किसी पक्ष के सही होने का प्रमाण है ।

अन्ना टीम के सदस्य जिन दिनों रामलीला मैदान में लंकापति की तरह गरजते थे, तब वे यह बात बार-बार कहते थे कि सारा देश उनके साथ है, वे 121 करोड़ जनता की आवाज़ हैं, देश का हर एक व्यक्ति उनके साथ है परन्तु कश्मीर पर दिये बयान ने सब दावों की हवा निकाल दी । यदि देश के 121 करोड़ लोग उनके साथ थे, यदि सारा युवावर्ग उनके साथ था तो ये युवक सर्वोच्च न्यायालय के चैंबर में मारपीट करने क्यों पहुंच गये और उनके समर्थकों ने दूसरे दिन अदालत के बाहर भी बयान देने वालों के समर्थकों को क्यों मारा-पीटा ? स्पष्ट है, मंचों से मारे गये ऐसे लोगों का यथार्थ से कोई नाता नहीं होता । ये मतिभ्रम होते हैं और उसी के वशीभूत होकर अपनी पीठ खुद ही थपथपाई जाती है ।

अब यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने हमला किया, वे फॉसीवादी तत्व हैं, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिन्हें बयान से दिक़्क़त है, वे तर्क से बात करें, आदि ।

ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, परन्तु दुख यही है कि ये तब बोली जाती है जब फॉसीवाद का स्वाद आपको खुद चखना पड़ता है । जब आप खुद फॉसीवादी होते हैं और तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं, तब समझदारी की ये सब बातें नदारद रहती हैं ।

जब रामलीला मैदान से बार-बार यह घोषणा की जाती थी कि जो जनलोकपाल बिल हमने तैयार करके दिया है, सारे देश के सांसद उसे बिना एक कामा हटाये अक्षरशः पास करें, तब क्या उसमें कोई तर्क था ? क्या यह सब फॉसीवादी नहीं था ? क्या तब आप किसी की किसी तर्कसंगत बात को सुनने को तैयार थे ? क्या सारे देश की बुद्धि पर हिटलर की तरह आप पोंछा नहीं फेर रहे थे ? देश का कोई बुद्धिजीवी आपके प्रारूप से बढ़िया प्रारूप तैयार कर ही नहीं सकता--यह जिस अहंकार के वशीभूत होकर आपने मान लिया था, वह फॉसीवाद ही तो था । हम चार-पांच लोग लोकोत्तर बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं और हमने

जिस तरह का फॉसीवादी व्यवहार रामलीला मैदान से प्रायोजित किया गया, उस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ पत्रकार बी॰जी॰ वर्गीस ने जो प्रश्न उठाया था, वह अभी तक अनुत्तरित है । उन्होंने कहा था : अन्ना की बन्दूक़, माओवादी की बंदूक़, डाकू की बंदूक़ और माफ़िया की बंदूक़ में क्या अंतर है ? क्या कुछ बंदूकें दूसरी बंदूक़ों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं ?

हिंसा और फॉसीवाद

जो एक बार ड्राफ़्ट बना दिया है, यह अंतिम व 'ईश्वरीय वाणी' के समान अटल एवं शाश्वत है—यह अहंवादिता ही तो फॉसीवाद है ।

जिस तरह का फॉसीवादी व्यवहार रामलीला मैदान से प्रायोजित किया गया, उस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ पत्रकार बी०जी० वर्गीस ने जो प्रश्न उठाया था, वह अभी तक अनुत्तरित है ।

उन्होंने कहा था : अन्ना की बन्दूक़, माओवादी की बंदूक़, डाकू की बंदूक़ और माफ़िया की बंदूक़ में क्या अंतर है ? क्या कुछ बंदूक़ें दूसरी बंदूक़ों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं ? रामलीला मैदान में अन्ना की बंदूक़ थी और ऐसी बंदूक़ों से न परिपक्व लोक-तंत्रात्मक बहस हो सकती है और न सर्वसहमति ही बन सकती है ।

भ्रष्टाचार बनाम अनुशासनहीनता

उस मंच से युवाओं को शह देकर और जोश में भर कर भेजा जाता था, जाओ सांसदों के घरों को घेरो और उन्हें जनलोकपाल के समर्थन के लिए विवश करो । इसी तरह प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का आह्वान किया गया । जब आप युवाओं को इस तरह अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब उनके लिए आप किसी अनुशासनबद्ध मार्ग का विकल्प नहीं छोड़ते । जब न सांसद के प्रति संयम व शिष्टाचार है, न देश के प्रधानमंत्री के लिए, तब वही युवा जब किसी और के हाथ का हत्थकंडा बनेंगे तब वे आपके प्रति संयम और शिष्टाचार क्यों दिखाएंगे ? तब वे क्यों नहीं आपकी टोपी उछालेंगे ?

वैचारिक गड्ड-मड्ड

इस देश में जिसे जब जो विचार सुविधाजनक प्रतीत होता है, उसे मुखौटे की तरह चेहरे पर लगा लेता है । श्री अन्ना शुरू से अपने गांधीवादी होने की दुहाई देते रहे, परन्तु बीच-बीच में अपने को बहादुर बताने के लिए कभी शिवाजी का अनुयायी बताते रहे तो कभी भगत सिंह का नाम लेते रहे । टीम के सदस्य को पीटने वालों ने अपने को भगत सिंह का ही अनुयायी बताया । यही उन्होंने पर्चों पर लिखा और यही मीडिया से बात करते हुए कहा ।

यह वैचारिक गड्ड-मड्ड हमें समझनी होगी और तजनी होगी । गांधी और भगत सिंह दोनों देश भक्त थे, परन्तु दो अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि थे, जो एक-दूसरे के विपरीत थीं । आप युवाओं को बहकाने के लिए या जनसमर्थन जुटाने के लिए एक ही समय यदि गांधीवादी भी बनते हैं और शिवाजी तथा भगत सिंह के अनुयायी भी तो गड़बड़ ही होगी किसी समय ।

भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम मारने की बात उन्होंने की है । भगत सिंह गोली भी चलाते थे और उन द्वारा किये ऐसे कामों का उनकी जीवनी में वर्णन मिलता ही है । फिर गांधीवादी अन्ना का अपने को भगत सिंह और शिवाजी से जोड़ना क्या तर्कसंगत है ? यदि कहें कि तर्कसंगत है, फिर तो भगत सिंह की कार्रवाई भी तर्कसंगत ही माननी होगी !

यह वैचारिक गड्ड-मड्ड हमें समझनी होगी और तजनी होगी ! गांधी और भगत सिंह दोनों देश भक्त थे, परन्तु दो अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि थे, जो एक-दूसरे के विपरीत थीं । आप युवाओं को बहकाने के लिए या जनसमर्थन जुटाने के लिए एक ही समय यदि गांधीवादी भी बनते हैं और शिवाजी तथा भगत सिंह के अनुयायी भी तो गड़बड़ ही होगी किसी समय ।

प्रदर्शन का अधिकार

रामलीला मैदान से यह संदेश दिया जाता रहा कि लोकतंत्र में सब को रोष प्रदर्शन का अधिकार है । कहा तो

यह जाता था कि रोष प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है । यदि यह आपके अनुसार मौलिक अधिकार है (यद्यपि संविधान में ऐसा कोई मौलिक अधिकार दर्ज नहीं है) तो फिर यह उन लोगों का भी मौलिक अधिकार ही मानना होगा जो कश्मीर पर दिये आपके बयान से आहत हैं ।

यहां प्रश्न उठेगा कि रोष-प्रदर्शन का तरीक़ा क्या हो ? जब रामलीला मैदान में मरणव्रत का प्रश्न उठा था तो सरकार कहती थी कि कोई लोकतंत्रात्मक तरीक़ा अपनाएं, मरणव्रत (अनशन) न करें । इस पर टीम अन्ना और दूसरे भी यह कहते थे कि रोष प्रदर्शन का कौन-सा तरीक़ा हो, यह सरकार नहीं तय करेगी, बल्कि हम तय करेंगे ।

सुनने में तब यह बहुत अच्छा लगता था और बोलने वाले भी बड़े उत्साह से बोलते थे । परन्तु आज वही लोग भगत सिंह ब्रिगेड व श्रीराम सेना से यह कह रहे हैं कि रोषप्रदर्शन का उनको कोई और तरीक़ा अपनाना चाहिए था, न कि वह जो उन्होंने अपनाया । भावार्थ यह कि आज आप दूसरों को रोष प्रदर्शन का उसी तरह तरीक़ा बता रहे हैं जिस तरह का सरकार का प्रयास आप निरस्त कर चुके हैं ।

दूसरे शब्दों में, आप जो चाहे रोष प्रदर्शन का तरीक़ा अपना सकते हैं, परन्तु दूसरों के लिए रोष प्रदर्शन के तरीक़े आप तय करेंगे ! यह अहंवादिता है या स्मृतिभ्रंश ? जब आप प्रत्येक रोष प्रदर्शनकर्ता को यह अधिकार देने पर बल देते हैं कि प्रदर्शन का तरीक़ा चुनना उसका विशेषाधिकार है, तब आप का उस तरीक़े के सन्दर्भ में हस्तक्षेप करना क्या ग़लत नहीं जिसके निशाने पर आप ख़ुद हैं ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम को जो पसन्द हो सब वही बरत करेंगे !

मरणव्रत की शवपरीक्षा

मरणव्रत क्या है ? यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जो मरणव्रत पर बैठता है, उसकी जान व्यक्तिगत तौर पर बहुत क़ीमती होती है । सभी जान एक समान क़ीमती है, किसी की ज़्यादा क़ीमती नहीं होती । मरणव्रत पर बैठे व्यक्ति के प्रति हमारी मानवीय भावनाएं उमड़ती हैं और हर मरणव्रती उन्हीं का दोहन करता है । जो मरणव्रती ज़्यादा भीड़ जमा करवा लेता है, वह इसलिए ज़्यादा दबाव बनाता है कि वह सामने वाले को यह संदेश देता है कि यदि मैं मर गया तो यह हजूम तुम्हारे लिए क़ानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी करेगा । अतः यदि उस सबसे बचे रहना चाहते हो तो मुझे मरने मत दो और मुझे बचाने का एकमेव तरीक़ा यही है कि मेरी बात मान लो ।

जब इस तरह क़ानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा होने से डरकर सामने वाला हथियार डाल देता है, तब इसे सत्य की विजय कह दिया जाता है, परन्तु जो भीड़ इकट्ठी नहीं करवाता या कर नहीं पाता वह खाना न खाने से स्वामी निगमानन्द जी की तरह कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है और 111 दिनों के बाद मर जाता है । उसके मरने से क्योंकि क़ानून- व्यवस्था की कोई गंभीर स्थिति पैदा होने का भय नहीं होता । अतः उसके मर जाने पर भी कोई नहीं कहता कि उसने सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिये ।

ध्यान रहे स्वामी ज़ी गंगा के लिए शहीद हुए, वह खनन माफ़िया के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे थे और उस प्रदेश में सरकार भी साधुओं-संतों का सम्मान करने वाली थी । फिर भी मरणव्रत बेकार गया और क़ीमती जीवन भी । रामलीला मैदान में जिन्होंने मरणव्रत किया, वे क्योंकि भीड़ इकट्ठी कर सके, अतः सरकार को उनके व्यक्तिगत जीवन की रक्षा की अपेक्षा इस बात की चिंता स्वभावतः ज़्यादा थी कि मृत्यु की स्थिति में हजूम

सही-ग़लत का निर्णय तर्क, विचार-विमर्श आदि से होता है । जो लोग अब अन्ना टीम के एक सदस्य के पिट जाने पर तर्क, विचारविमर्श, क़ानून आदि का रास्ता सुझा रहे हैं, वे ख़ुद कल तक इन चीज़ों का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे । फॉसीवाद पौराणिक भस्मासुर के समान है । यह उनको भी निगलने को दौड़ता है और निगल लेता है, जो उसे पैदा करते हैं, यही इसकी विशेषता है ।

क़ानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी कर देगा । इसी भय का दोहन करने के लिए मरणव्रत के समर्थन में यह कहा गया था कि रोष-प्रदर्शन का तरीक़ा सरकार नहीं, हम तय करेंगे ।

मरणव्रत अपने आप में कुछ नहीं है और न मरणव्रती का जीवन ही ऐसा होता है कि उसके मर जाने पर दुनिया रुक जाएगी । गांधी जी मरणव्रत किया करते थे और अंग्रेज़ 'क़ीमती' जीवन को बचा लेते थे । परन्तु गोडसे ने जब उस जीवन को नष्ट कर दिया, दुनिया तब भी उसी तरह चलती रही जैसे पहले चलती थी ।

मरणव्रत में केवल मरने की स्थिति में क़ानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा होने का भय दिखाया जाता है । सामने वाले को यदि वह भय वास्तविक लगे तो वह घुटने टेक देता है और यदि न लगे तो व्रती स्वामी निगमानन्दजी की मौत मरता है । जिन लोगों को लगता है कि हम उस तरह का भय पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं, वे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करते हैं और अपने पहले के भूखा रहने के अभ्यास के कारण व्रत पर ज़ोर देते हैं और उसे लंबा खींचते हैं ।

परन्तु व्रत को ज़्यादा दिन चलना, सामने वाले का दबाव में आकर झुक जाना आदि इस बात का किसी भी तरह प्रमाण नहीं कि जिस बात को लेकर आप खाना छोड़कर बैठे हैं, वह सही है । यह निरा दबाव है, निरा फॉसीवाद है, आपके सही होने का सबूत नहीं ।

सही-ग़लत का निर्णय तर्क, विचार-विमर्श आदि से होता है । जो लोग अब अन्ना टीम के एक सदस्य के पिट जाने पर तर्क, विचारविमर्श, क़ानून आदि का रास्ता सुझा रहे हैं, वे खुद कल तक इन चीज़ों का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे । फॉसीवाद पौराणिक भस्मासुर के समान है । यह उनको भी निगलने को दौड़ता है और निगल लेता है, जो उसे पैदा करते हैं, यही इसकी विशेषता है । ऐसा कहा है कि यह दूसरों को ही निगलता हो और अपनों को अपने उत्पादक को बख़्श देता हो ।

कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, उसके लिए साफ़ पानी अपेक्षित है । इसी तरह फॉसीवाद से फॉसीवाद ख़त्म नहीं किया जा सकता । इसके लिए ज़रूरी है कि आप तर्क, विचार-विमर्श, संयम आदि का मार्ग अपनाएं और अपनी बात को उसके गुणों के बल पर मनवाना सीखें ।

यदि रामलीला मैदान में टीम अन्ना ने भीड़वाद को हवा न दी होती, यदि सांसदों आदि के घरों को घेरने के लिए भीड़ को न उकसाया होता और इसके स्थान पर उन्हें संयम में रहकर विचार-विमर्श करना सिखाया होता तो वही लड़के जो कल तक उनका कहना मानते थे, आज उनके एक कथन पर उनको मारने-पीटने पर उतारू न होते । समय की ज़रूरत है कि नयी पीढ़ी को अनुशासन, विचार-विमर्श, तर्क, सहिष्णुता आदि का प्रशिक्षण दिया जाता । इसी में देश का और समाज का भविष्य निहित है ।

यदि युवावर्ग को कोई रचनात्मक दिशा नहीं दी जाती तो यह वर्ग सारे किये कराये पर पानी फेर सकता है, यदि यह हथियार उठा लेता है, यदि यह दिशाहीन होकर नशों की ओर चल पड़ता है और भविष्य के प्रति उदासीन होकर वर्तमान में तत्काल मीडिया टी०आर०पी० बढ़ाने के लिए उलटे-सीधे काम करता है । यदि ऐसा होता है तो 121 करोड़ जनता के वे स्वयंभू प्रतिनिधि व प्रवक्ता ही इसके लिए दोषी होंगे, जो आम आदमी के नाम पर जेड सुरक्षा का आनंद मान रहे हैं और अहंकारवश देश के भाग्य-विधाता होने का प्रभाव दे रहे हैं ।

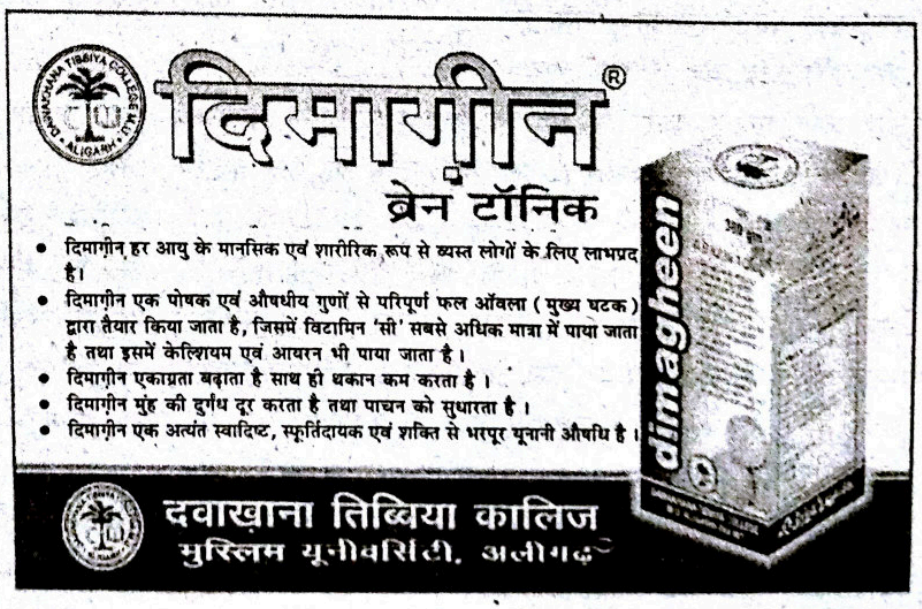

नेहरू भी चाहते थे कश्मीर में जनमत संग्रह

■ अरुंधति राय

सुप्रसिद्ध अधिवक्ता और टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण, कश्मीर में जनमत संग्रह कराये जाने संबंधी अपने विचारों के कारण पिछले दि । उनके कार्यालय में कुछ हिन्दुत्ववादी गुंडों ने उन पर हमला भी किया । साल भर पहले कश्मीर पर अपनी साफ़ राय रखने के कारण अदालत के आदेश पर लेखिका अरुंधति राय पर भी मुक़दमा दर्ज किया गया था । न्यायालय के आदेश पर अरुंधति राय ने पिछले साल 28 नवंबर को 'वे जवाहरलाल नेहरू पर भी मृत्योपरांत मामला चला सकते हैं' शीर्षक लेख की शक्ल में जवाब दिया था । यहां हम अरुंधति राय के उस लेख का अनिल एकलव्य द्वारा किया अनुवाद पेश कर रहे हैं :



कश्मीर में शेख़ अब्दुल्लाह के साथ जवाहर लाल नेहरू ।

न्यायालय द्वारा उस आदेश के बारे में, जिसमें दिल्ली पुलिस को मेरे ख़िलाफ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध चलाने के लिए एफ॰आई॰आर॰ दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि शायद उन्हें जवाहरलाल नेहरू के ख़िलाफ़ भी मृत्योपरांत मामला दर्ज करना चाहिए । कश्मीर के बारे में उन्होंने यह सब कहा था :

● पाकिस्तान के मुख्यमंत्री को भेजे गये एक तार में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ''मैं यह बात साफ़ कर देना चाहता हूं कि इस आपातकाल में कश्मीर की मदद करने का सवाल किसी भी तरह से उसके भारत में विलय को प्रभावित करने से नहीं जुड़ा है । हमारा मत, जिसे हम बार-बार सार्वजनिक करते रहे हैं, यह है कि किसी भी विवादग्रस्त इलाक़े या राज्य के विलय का सवाल वहां के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही होना चाहिए और हम इस विचार पर क़ायम हैं ।''

(तार 402, Primin-2227, दिनांकित 27 अक्तूबर, 1947, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसी तार को दोहराते हुए जो यू॰के॰ के प्रधानमंत्री को भेजा गया था)।

● पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भेजे गये एक अन्य पत्र में पंडित नेहरू ने कहा, ''कश्मीर के भारत में विलय को हमने महाराजा की सरकार के और राज्य की सर्वाधिक जनसमर्थन वाली संस्था, जो कि मुख्यतया मुस्लिम है, के अनुरोध पर ही माना था । तब भी इसे इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि जैसे ही क़ानून-व्यवस्था बहाल हो जाएगी, कश्मीर की जनता विलय के सवाल का निर्णय करेगी । ये निर्णय उन्हें लेना है कि वे किस देश में विलय को स्वीकार करें ।''

(तार सं. 255 दिनांकित 31 अक्तूबर, 1947)

विलय का मुद्दा

● 2 नवंबर, 1947 को आकाशवाणी पर राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में पंडित नेहरू ने कहा, ''संकट के इस समय में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौक़ा दिये बिना कोई भी फ़ैसला न लिया जाए । अंतत: निर्णय उन्हें ही लेना है'' और मैं यह साफ़ कर देना चाहूंगा कि हमारी नीति यही रही है कि जहां भी किसी राज्य के दोनों में से एक देश में विलय के बारे में विवाद हो, विलय पर निर्णय उस राज्य के लोगों को ही लेना चाहिए । इसी नीति के तहत हमने कश्मीर के विलय के समझौते में यह शर्त शामिल की थी ।''

● 3 नवंबर, 1947 को राष्ट्र के नाम एक अन्य प्रसारण में पंडित नेहरू ने कहा, "हमने यह घोषणा की है कि कश्मीर के भाग्य का निर्णय अंततः वहां की जनता के द्वारा ही किया जाएगा। यह वचन हमने केवल कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हट भी नहीं सकते।"

● पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखे अपने एक पत्र सं. 368 Primin, दिनांकित 21 नवंबर, 1947, में पंडित नेहरू ने कहा, "मैंने बार-बार यह वक्तव्य दिया है कि जैसे शांति तथा व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, कश्मीर को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत (प्लेबीसाइट या रेफ़रेंडम) के द्वारा विलय का फ़ैसला करना चाहिए।"

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में

● भारतीय संविधान सभा में 25 नवंबर, 1947 को अपने वक्तव्य में पंडित नेहरू ने कहा, "हमारे सद्भाव को प्रमाणित करने के लिए हमने यह प्रस्ताव रखा है कि जब जनता को अपने भविष्य का फ़ैसला करने का अवसर दिया जाए तो ऐसा किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के तत्वावधान में होना चाहिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र। कश्मीर में मुद्दा यह है कि भविष्य का फ़ैसला खुली ताक़त से होना चाहिए या फिर जनता की इच्छा से।"

● भारतीय संविधान सभा में 5 मार्च, 1948 को अपने वक्तव्य में पंडित नेहरू ने कहा, "विलय के समय भी हमने अपेक्षा से आगे जाकर यह एकतरफ़ा घोषणा की थी कि हम जनमत में कश्मीर की जनता द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करेंगे। हमने आगे यह भी ज़ोर देकर कहा था कि कश्मीर की सरकार तुरंत एक लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। हम लगातार इस वचन पर क़ायम रहे हैं और जनमत (प्लेबीसाइट) कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें न्यायपूर्ण मतदान करने की पूरी सुरक्षा हो तथा हम कश्मीर के लोगों के निर्णय का पालन करने के लिए भी वचनबद्ध हैं।

रेफ़रेंडम या प्लेबीसाइट

● लंदन में 16 जनवरी, 1951 को अपनी प्रेस कांफ्रेंस में, जैसा कि दैनिक (स्टेट्समैन) ने 18 जनवरी, 1951 को

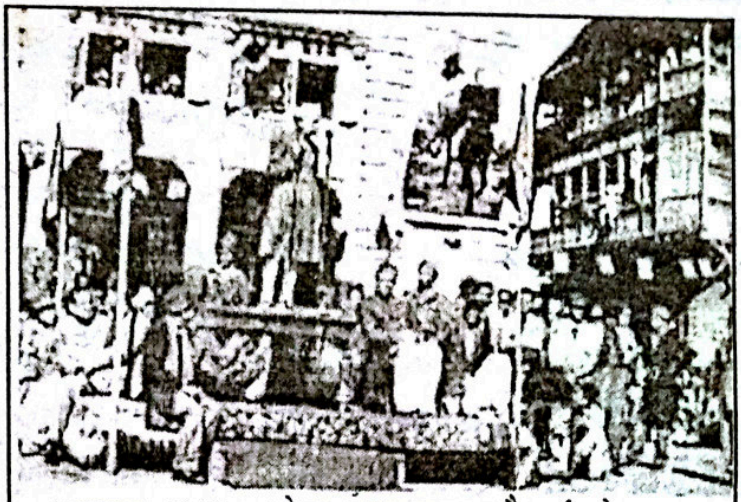

नवम्बर 1947 : शेख़ अब्दुल्लाह और पं॰ नेहरू।

अपनी रिपोर्ट में बताया, पंडित नेहरू ने कहा, "भारत ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा है ताकि कश्मीर की जनता अपनी राय प्रकट कर सके और हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं।

हमने एकदम शुरू से ही इस बात को माना है कि कश्मीर के लोगों को अपने भाग्य का फ़ैसला करने का हक़ है, चाहे रेफ़रेंडम के द्वारा या प्लेबीसाइट के द्वारा। बल्कि सच तो यह है कि हमारा ऐसा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के बनने के बहुत पहले से है। अंततः मुद्दे का फ़ैसला तो होना ही है, जिसे आना चाहिए, सबसे पहले तो मुख्यतः कश्मीर की जनता की तरफ़ से और फिर पाकिस्तान तथा भारत के बीच सीधे तौर पर। यह भी याद रखा जाना ही चाहिए कि हम (भारत और पाकिस्तान) बहुत से मुद्दों पर अनेक समझौतों पर पहले ही पहुंच चुके हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि कई मूलभूत बातें निपटायी जा चुकी हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि कश्मीर की जनता को ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना होगा, चाहे भीतर या बाहर। यह ज़ाहिर बात है कि हमारे समझौते के बिना भी कोई देश कश्मीर पर कश्मीरियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी पकड़ बनाकर नहीं रखने वाला।

● अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट में 6 जुलाई, 1951 को और स्टेट्समैन में 9 जुलाई, 1951 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पंडित नेहरू ने कहा, "कश्मीर को ग़लत तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक इनाम के रूप में देखा गया है। लोग शायद भूल जाते हैं कि कश्मीर कोई बिकाऊ माल या अदला-बदली की चीज़ नहीं

है । उसका अपना अलग अस्तित्व है और वहां के लोग ही अपने भाग्य के अंतिम निर्णायक हो सकते हैं । यहीं पर एक संघर्ष फल-फूल रहा है, युद्धभूमि में नहीं, बल्कि जनमानस में ।''

● 11 सितंबर, 1951 को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को अपने पत्र में पंडित नेहरू ने लिखा, ''भारत सरकार न केवल इस बात को दृढ़तापूर्वक दोहराती है कि उसने इस सिद्धांत को माना है कि जम्मू तथा कश्मीर के विलय के जारी रहने के सवाल का हल जनतांत्रिक तरीक़े से संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनमत-संग्रह के द्वारा हो, बल्कि वो इस बात के लिए भी चिंतित है कि इस जनमत-संग्रह के लिए ज़रूरी हालात जितनी जल्दी हो सके तैयार किये जाएं ।''

वचनबद्धता

● 'अमृत बाज़ार पत्रिका', कलकत्ता, में 2 जनवरी, 1952 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय विधानमंडल में डॉ॰ मुखर्जी के इस प्रश्न के जवाब में कि कांग्रेस सरकार उस एक तिहाई इलाक़े के बारे में क्या करने जा रही है जिस पर अब भी पाकिस्तान का क़ब्ज़ा है, पंडित नेहरू ने कहा, ''यह भारत या पाकिस्तान की संपत्ति नहीं है । इस पर कश्मीरी लोगों का हक़ है । जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, तब हमने कश्मीरी लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि अंततः हम उनके जनमत-संग्रह के फ़ैसले का सम्मान करेंगे । अगर वो हमें बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं, तो मुझे बाहर आने में कोई हिचक नहीं होगी । हम मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले गये और हमने शांतिपूर्ण हल के प्रति अपना वचन दिया है ।''

● भारतीय संसद में 7 अगस्त, 1952 को अपने वक्तव्य में पंडित नेहरू ने कहा, ''मैं यह बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम इस मूलभूत प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि कश्मीर का भविष्य अंततः वहां के लोगों की सद्भावना और इच्छा से निर्धारित किया जाएगा । इस मामले में इस संसद की सद्भावना और इच्छा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए नहीं कि संसद के पास कश्मीर प्रश्न को हल करने कि शक्ति नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी भी तरह की ज़बरदस्ती उन सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगी जिन्हें यह संसद मानती है । हम उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध रोक कर नहीं रखेंगे, चाहे हमारे लिए यह कितनी ही कष्टदायी क्यों न हो । मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि सिर्फ़ कश्मीर के लोग ही कश्मीर के भाग्य का निर्णय कर सकते हैं । ऐसा नहीं है कि हमने संयुक्त राष्ट्र से और कश्मीर की जनता से सिर्फ़ ऐसा कहा है, हमारा यह दृढ़ विश्वास है और यह उस नीति पर आधारित है जिसका हम पालन करते रहे हैं, सिर्फ़ कश्मीर में ही नहीं बल्कि सब जगह ।

हालांकि इन पांच सालों में हमारे सब कुछ करने के बाद भी बहुत परेशानी और ख़र्च हुआ है, हम स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाए कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम चले जाएं । हम चाहे कितना भी उदास अनुभव करें, हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध रुकने वाले नहीं हैं । हम ख़ुद को संगीन की नोक पर उनके ऊपर क़ाबिज़ नहीं करना चाहते ।''

कश्मीर की आत्मा

● लोक सभा में 31 मार्च, 1955 को अपने बयान में, हिंदुस्तान टाइम्स में 1 अप्रैल, 1955 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पंडित नेहरू ने कहा, ''भारत और पाकिस्तान के बीच सभी समस्याओं में शायद सबसे कठिन समस्या कश्मीर है । हमें यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर कोई वस्तु नहीं है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच ठेला जाए, बल्कि उसकी अपनी एक आत्मा है और अपना एक व्यक्तित्व है । बिना कश्मीर के लोगों की इच्छा और सद्भावना के कुछ भी नहीं किया जा सकता ।''

● सुरक्षा समिति की 765वीं बैठक, जो कश्मीर के बारे में थी, में भाग लेते हुए सुरक्षा समिति को दिये अपने एक बयान में भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्णा मेनन ने कहा, ''जहां तक हमारा सवाल है, मैंने इस समिति को अब तक जितने बयान दिये हैं उनमें से किसी में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान नहीं करेंगे । मैं दस्तावेज़ों में दर्ज करने के उद्देश्य से यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे ज़रा-सा भी अंदेशा हो कि भारत सरकार या भारतीय संघ उन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की अवमानना करेगा, जिनका पालन करने का उसने वचन दिया था ।''

एक सेहरानशीं सहाबिया (रज़ि०)

■ तालिब हाशमी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) एक बार किसी युद्ध से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पड़ाव मिला जहां कुछ लोग बैठे थे। आप (सल्ल०) ने उनसे पूछा : "तुम लोग कौन हो ?"

"हम मुसलमान हैं।"

थोड़ी दूरी पर एक महिला बैठी चूल्हा सुलगा रही थी और उनका नन्हा-सा बच्चा क़रीब में ही बैठा था। जब आग ख़ूब भड़क उठी तो वह महिला बच्चे को गोद में लेकर आप (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर हुई और कहा :

"ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! एक मां को अपने बच्चे से जितनी मुहब्बत होती है, क्या अल्लाह तआला अपने बन्दों पर उससे अधिक मेहरबान नहीं है ?"

आप (सल्ल०) ने फ़रमाया : "हां, निस्संदेह है।"

महिला ने कहा : "कोई मां तो अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं करती !"

(उसका अभिप्रेत यह था कि यदि कोई मां अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती तो अल्लाह तआला अपने बन्दों को जहन्नुम की आग के हवाले कैसे करेगा ?)

उस महिला की बात सुनकर अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) रोने लगे, फिर सिर उठाकर बोले : "अल्लाह केवल उस व्यक्ति को अज़ाब देगा जो सरकश और घमंडी है और उसको एक नहीं मानता।"

एक-दूसरी रिवायत कुछ इस तरह बयान की जाती है कि वह महिला चूल्हा सुलगा रही थी। जब आग की लपट उठती तो वह महिला अपने बच्चे को एक तरफ़ हटा लेती। उन लोगों ने उससे पहले अल्लाह के प्यारे रसूल (सल्ल०) को नहीं देखा था, हालांकि वे इस्लाम क़ुबूल कर चुके थे। जब आग अच्छी तरह भड़क उठी तो वह महिला आपके पास आयी और पूछा : "अल्लाह के रसूल (सल्ल०) आप ही हैं ?"

आप (सल्ल०) ने जवाब दिया, "मैं ही हूं।"

उसने फिर पूछा, "मेरे मां-बाप आप पर क़ुरबान, क्या अल्लाह 'अरहमर राहिमीन' नहीं।"

आप (सल्ल०) ने जवाब दिया, "निस्संदेह है।"

उसने फिर पूछा : "क्या अल्लाह अपने बन्दों पर इतना मेहरबान नहीं जितना एक मां अपने बच्चे पर होती है।"

फ़रमाया, "बेशक है।"

उसने फिर कहा, "एक मां तो अपने बच्चों को आग में नहीं डाल सकती।" (अल्लाह जो अत्यंत दयालु एवं कृपाशील है, अपने बन्दों को आग में कैसे डालेगा ?)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपना सिर झुका लिया और रोने लगे और फिर सिर उठाया और कहा : "अल्लाह अपने बन्दों में किसी को अज़ाब नहीं देगा मगर केवल उस सरकश को जिसकी सरकशी अल्लाह के साथ भी क़ायम है और जो "ला इलाह इल्लल्लाह" कहने पर तैयार नहीं होता।"

2. एक गुमनाम सहाबिया

सही बुख़ारी में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) एक बार कहीं जा रहे थे। आप (सल्ल०) ने देखा कि एक महिला एक क़ब्र के पास बैठकर धाड़ें मार-मारकर रो रही है।

आप (सल्ल०) उस महिला को देखकर रुक गये और उसको संबोधित करते हुए बोले, "सब्र करो, सब्र करो।"

वह महिला आप (सल्ल०) को नहीं पहचानती थी, झिल्ला कर बोली : "जाओ, जाओ, तुमको क्या मालूम कि मुझ पर क्या बीत रही है ?"

आप (सल्ल०) ख़ामोशी से आगे बढ़ गये। आसपास के लोगों ने उस महिला से कहा : "यह अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं। तूने नहीं पहचाना ?"

यह सुनकर वह सन्नाटे में आ गयी, रोना-धोना भूल गयी और दौड़ती हुई आप (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर हुई और बोली : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), मेरे मां-बाप आप पर क़ुरबान, मैं आपको पहचानती न थी, इसलिए मुझ

क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं

DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539



किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।



जाफ़रानी तेल®

गैस्टिक के दर्द में?

क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपच, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।



Qadri Dawakhana
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957,
RELAX ENTERPRISES 3416, Bahlshti Wada, No.1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

से गुस्ताख़ी हो गयी । अल्लाह के लिए मुझे बख़्श दीजिए ।''

आप (सल्ल०) ने बड़ी नर्मी के साथ कहा : ''सब्र वही है जो ठीक मुसीबत के समय किया जाए ।''

3. एक लाचार सहाबिया

मसनद अबू दाऊद में है कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि एक सहाबी एक काली सियाह लौंडी को लेकर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में हाज़िर हुए और कहा :

''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०), मुझ पर एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना वाजिब हो गया है । क्या मैं इस लौंडी को आज़ाद कर सकता हूं ?''

आप (सल्ल०) ने उस लौंडी से पूछा : ''अल्लाह कहां है ?'' उसने उंगुली से आसमान की ओर इशारा किया ।

आप (सल्ल०) ने फिर पूछा : ''मैं कौन हूं ?''

उसने पहले आप (सल्ल०) की ओर और फिर आसमान की ओर इशारा किया जिससे यह समझ लिया गया कि आप (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं । इस पर आप (सल्ल०) ने उस सहाबी को संबोधित करते हुए कहा : ''इसे आज़ाद कर दो, यह मोमिना है ?''

4. एक जंगली सहाबिया

एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल०) अपने कुछ साथियों के साथ एक ऐसे इलाक़े से गुज़रे जहां दूर-दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं था । जब लोग प्यास से निढाल होने लगे तो आप (सल्ल०) ने हज़रत अली (रज़ि०) और हज़रत इमरान बिन हसीन (रज़ि०) को आदेश दिया कि वे इधर-उधर घूम-फिर कर पानी का पता लगाएं ।

आदेशानुसार दोनों सहाबी पानी की खोज में निकल पड़े । कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों ने एक बद्दू महिला को देखा जो अपने ऊंट पर पानी के दो मशकीज़े लटका रखे थे । हज़रत अली (रज़ि०) और हज़रत इमरान (रज़ि०) ने उस जंगली महिला से पूछा कि ''पानी कहां से ला रही हो ?''

उसने जवाब दिया, ''पानी यहां से बहुत दूर है । पानी लादकर यहां पहुंचने में मेरे आठ पहर गुज़र चुके हैं ।''

दोनों सहाबियों ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे साथ चलो । महिला ने पूछा, ''कहां चलूं ?''

उन्होंने जवाब दिया, ''अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास ।''

वह बोली, ''वह व्यक्ति, जिसे लोग साबी (यानी अधर्मी) कहते हैं ?''

उन्होंने कहा : ''हां, जिनको मुश्रिक़ ऐसा समझते हैं ।''

अब वे दोनों उस महिला को साथ लेकर आप (सल्ल०) की सेवा में पहुंचे । आप (सल्ल०) ने उस महिला से पूछा ।

''यदि अनुमति दो तो तुम्हारी मशकों से थोड़ा-सा पानी ले लें ।''

वह बोली, ''ले लें लेकिन थोड़ा-सा लेना । मैं उसे बहुत दूर से लायी हूं और यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है ।''

आप (सल्ल०) ने पहले तो मशकों का ऊपरी मुंह

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

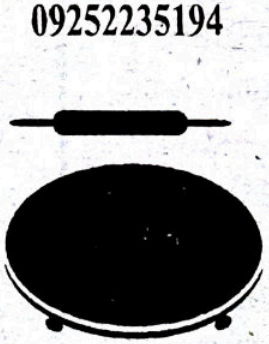

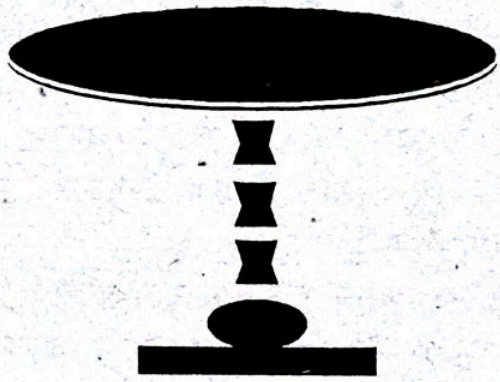

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

खोला और बर्तन में थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर मुंह बन्द कर दिया और फिर नीचे के मुंह से थोड़ा-सा पानी निकाला । और आदेश दिया कि तमाम लोग यहां आकर ख़ुद भी पानी पीएं और अपने जानवरों को भी पिलाएं । अतएव तमाम सहाबियों ने सैर होकर पानी पिया । अल्लाह तआला ने उस पानी में इतनी बरकत दी कि बड़ी संख्या में लोगों ने ख़ुद भी सैर होकर पानी पिया और अपने जानवरों को भी पिलाया । लेकिन पानी के बर्तन उसी तरह पानी से भरे हुए थे । वह महिला यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गयी ।

अब आप (सल्ल॰) ने आदेश दिया ।'' इस महिला के लिए कुछ खाने का सामान लाओ ।''

सहाबियों ने तुरंत खजूरें, सत्तू और आटा आदि एक कपड़े में बांधकर उस महिला के ऊंट पर डाल दिया । फिर आप (सल्ल॰) ने उस महिला से कहा : ''अब जाओ और यह चीज़ें अपने घर वालों को खिलाओ ।''

जब वह चलने लगी तो आप (सल्ल॰) ने कहा : देख लो, तुम्हारी पानी की मशकीज़े पानी से उसी तरह भरे हुए हैं । लोगों ने जो पानी पिया है वह अल्लाह ने पिलाया है ।''

जब वह महिला अपने घर पहुंची तो घर वालों ने पूछा, ''तुमने इतनी देर कहां लगा दी ?''

उसने जवाब दिया, ''मुझे रास्ते में दो आदमी मिले जो मुझे उस व्यक्ति के पास ले गये जिसे लोग 'साबी' कहते हैं । उसने मशकों का मुंह खोलकर जानवरों समेत अपने सभी साथियों को पानी पिलाया लेकिन मेरे पानी में कोई कमी नहीं आयी ।

ख़ुदा की क़सम, दुनिया में उस व्यक्ति से बढ़कर कोई जादूगर नहीं है और हो सकता है कि वह अल्लाह का रसूल ही हो, जैसा कि उसके साथी कहते हैं ।

यद्यपि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उस महिला को उसके पानी की क़ीमत दे दी थी लेकिन उस महिला के उस एहसान का प्रभाव यह पड़ा कि जब भी मुसलमानों की सेना ने मुश्रिकों से जंग की तो उस क़बीले को छोड़ दिया ।

क़बीले के लोग मुसलमानों की सेना के इस बर्ताव से बहुत प्रभावित हुए । एक दिन क़बीले के सभी लोग जमा हुए और उस महिला ने क़बीले वालों से कहा : तुम देख रहे हो कि ये लोग हमारे क़बीले के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं । केवल इसलिए कि मैंने एक बार उन्हें थोड़ा-सा पानी पिलाया था । यह इस बात का सबूत है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं । और उनका सरदार ख़ुदा का सच्चा रसूल है । मेरी मानो तो हम सब भी उसमें शामिल हो जाएं और उनके रसूल पर ईमान ले आएं ।''

क़बीले के सभी लोगों ने उस महिला की बात मान ली और सब के सब इस्लाम में दाख़िल हो गये ।

कविता

तारीख़

हर दिन की
नयी सुबह
नयी तारीख़ लाती थी
नयी आशाओं के साथ
सुबह होते ही
अपना चेहरा दिखाती थी ।
कभी कैलेंडर तो कभी अख़बार में
टी॰वी॰ और रेडियो में
सुबह से देर रात तक
वही तारीख़...परत दर परत ।

✗✗✗

एक दिन मैंने देखा
तारीख़ हर उस जगह से ग़ायब है
जहां से दिखती थी
जहां से उगती थी
अब वह बेतरतीब हो गयी है
झुंझला कर चीख़ पड़ी है–
''मेरा तुम्हारे साथ कैसे
हो सकता गुज़ारा
जब तुम्हारा हर दिन
होता आख़िरी हफ़्ता है ।''

● डॉ॰ मुहम्मद अहमद

मोटर के छींटे

❖ मुंशी प्रेमचन्द

सुबह-सुबह मैं स्नान ध्यान करके तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊं पांव में डाल, बग़ल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा-सा शत्रु का सर तोड़ने वाला डंडा लेकर एक यजमान के घर की ओर चला । विवाह का महूरत निकालना था । कम से कम एक कलदार का डोल था जलपान ऊपर से और मेरा जलपान कोई सामान्य जलपान नहीं है । बाबुओं की तो मुझे निमंत्रण देने की हिम्मत नहीं पड़ती है । उनका महीने भर का जलपान मेरा एक दिन का जलपान है । इस बारे में तो हम अपने सेठ साहूकारों का आभारी हैं । ऐसा खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले दिल से खिलाते हैं कि चोला खुश हो जाए । यजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं । खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनायी और मेरी भूख ग़ायब हुई । रोकर किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया ? ऐसा खाना तो कम से कम मुझे तो नहीं पचता । यजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी, एक बालूशाही और और मैं कहता जाऊं नहीं यजमान अब नहीं ।

पिछली रात बहुत वर्षा हुई थी, सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा था, मैं अपने विचारों में मग्न चला जा रहा था कि एक मोटर (कार) छप-छप करती निकल गयी । मुंह पर छींटे पड़े । देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दी हो । कपड़े गन्दे हुए वह अलग, शरीर गन्दा हुआ सो अलग, वित्तीय क्षति हुई वह अलग । अगर मोटर वाले को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वह भी याद करता । अपना घर भी मील भर से कम नहीं था । आने जाने वाले सब मेरी ओर देखकर तालियां बजा रहे थे । ऐसी बुरी दशा मेरी कभी नहीं हुई थी । अब क्या करोगे ? मैंने सोचा, घर गये तो पंडिताइन क्या कहेंगी ?

मैंने चटपट अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया । इधर-उधर से कई पत्थर इकट्ठा कर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा । ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा । अभी दस मिनट भी नहीं हुए थे कि एक मोटर आती दिखायी पड़ी । ओहो वही मोटर थी । संभवत: मालिक को स्टेशन से लेकर लौट रही थी । जैसे ही निकट आयी, मैंने एक पत्थर चलाया । पूरी शक्ति लगाकर चलाया । साहब की टोपी उड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर गिरी । मोटर की गति धीमी हो गयी मैंने दूसरा फायर किया । खिड़की के शीशे चूर-चूर हो गये और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल पर भी लगा । ख़ून बहने लगा । "सूअर हम तुमको पुलिस में देगा" इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा ज़मीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़ कर अरंगी लगायी तो वे धद से कीचड़ में गिरे । मैंने झट सवारी गांठी और गर्दन पर 20-25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाये कि साहब चौंधिया गये । इतने में उनकी पत्नी उतर आयीं । ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होंठों पर रंग, भौंहों पर स्थायी, मुझे छाते से गोदने लगीं । मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालते हुए बोला-"देवी जी आप मर्दों के बीच में न पड़ें, कहीं चोट आ गयी तो मुझे दुख होगा ।"

साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमायी । मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी । मैंने बौखला कर डंडा उठाया और साहब के पांव पर जमा दिया । वे कटे पेड़ की तरह गिरे । मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी । मैंने उनकी छतरी छीन कर फेंक दी । ड्राइवर अभी तक बैठा था । अब वह भी उतरा और छतरी लेकर मुझ पर पिल पड़ा । मैंने एक डंडा उसको भी जमा दिया । वह लौट गया । पचासों आदमी तमाशा देखने जमा हो गये । साहब ज़मीन पर पड़े-पड़े बोले, "रास्कल हम तुमको पुलिस में देगा ।"

मैंने फिर डंडा उठाया और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं...नहीं, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दो ।"

मैंने कहा, "हां पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो मैं खोपड़ी रंग दूंगा । बहुत से बहुत 6 महीने की सज़ा होगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा । मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो । घमंड में अंधे हो जाते हो । सामने या

किनारे कौन जा रहा है इसका ध्यान नहीं रखते ।''

भीड़ से एक आदमी ने आवाज़ दी, अरे महाराज मोटर वाले जा-बूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और ख़ूब हंसते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया ।''

मैंने साहब को ललकार कर कहा, ''सुनता है कुछ, पब्लिक क्या कहती है ?''

साहब ने उस आदमी को लाल-लाल आंखों से देखकर कहा ''तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है ।''

मैंने डांटा, ''अभी तुम्हारी हैकड़ी कम नहीं हुई, आऊं फिर और दूं एक सोंटा कस के ।''

साहब ने घिघया कर कहा, ''अरे नहीं बाबा सच कहता है, एकदम सच बोलता है, अब तो ख़ुश हुआ ?''

भीड़ से दूसरा आदमी बोला, ''अभी जो चाहें कह दें, लेकिन ज्यों ही गाड़ी में बैठे, फिर वही काम शुरू कर देंगे । गाड़ी पर बैठते ही सब ख़ुद को नवाब का पोता समझने लगते हैं ।''

तीसरे आदमी ने कहा, ''इससे कहिये थूक कर चाटे ।''

चौथे ने फ़रमाया, नहीं कान पकड़ कर उठाइये, बिठाइये ।''

पांचवे ने आवाज़ लगायी, ''और ड्राइवर को भी, ये सब बदमाश होते हैं ।''

''पूंजीपति घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो ? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा ।''

मैंने यह सुझाव मान लिया, ड्राइवर और मालिक दोनों को कान पकड़ कर उठाना-बिठाना चाहिए और मेम साहब गिनें । ''सुनो मेम साहब तुमको गिनना होगा, पूरी सौ बैठकें, एक भी कम नहीं, अधिक जितनी चाहे हो जाएं ।''

दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़ के उठाया और दो ने ड्राइवर का । ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी फिर भी वह बैठकें लगाने लगा । साहब की अकड़ अभी बाक़ी थी । वे लेट गये और ऊलजलूल बकने लगे । मैंने दिल में ठान लिया था कि इससे सौ बैठकें लगवाये बिना नहीं छोड़ूंगा । चार लोगों को आदेश दिया कि गाड़ी को धकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो ।

आदेश की देर थी, चार की जगह पचास लोग लिपट गये और गाड़ी को धकेलने लगे । वह सड़क बहुत ऊंची थी । गाड़ी नीचे गिरती और टूट के बिखर जाती । गाड़ी सड़क के किनारे पहुंच गयी थी कि साहब उठ खड़े हुए और बोले, ''बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठे-बैठेगा ।

मैंने लोगों को अलग हट जाने का आदेश दिया, मगर सभी को एक दिललगी मिल गयी थी । किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया । अब मैं डंडा उठाकर उनकी ओर दौड़ा, तब वे सब गाड़ी छोड़ कर भागे । अब साहब ने आंखें बन्द करके बैठकें लगानी शुरू कर दी ।

दस बैठकों के बाद मैंने मेम साहब से पूछा, ''कितनी हुईं ?''

मेम साहब ने गुस्से में जवाब दिया, ''हम नहीं गिनता ।''

''तो इस प्रकार साहब दिन भर कांखते रहेंगे और मैं नहीं छोड़ूंगा इनको सकुशल घर लेना चाहती हो तो बैठकें गिन दो, सौ के बाद मैं इन्हें रिहा कर दूंगा ।

साहब ने देखा कि सज़ा भुगते बिना कोई चारा नहीं है तो वे बैठकें लगाने लगे, एक...दो...तीन...चार...पांच...।

यकायक एक दूसरी मोटर आती नज़र आयी । साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले ।'' पंडित जी आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो अब हम कभी मोटर पर नहीं बैठेगा।''

मुझे भी दया आ गयी । मैंने कहा, ''नहीं, मोटर पर बैठने से नहीं रोकता, इतना ही कहता हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमी को आदमी ही समझो ।''

दूसरी गाड़ी तेज़ी से चली आ रही थी ।

मैंने इशारा किया, सब आदमियों ने दो-दो पत्थर उठा लिए । उस गाड़ी का मालिक ख़ुद ड्राइव कर रहा था, वह गाड़ी धीमी करके चुपचाप खिसक जाना चाहता था । मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और उन्हें ज़ोर से हिलाया और गालों पर एक-एक चपत लगाकर कहा ।

''गाड़ी से छींटे न उड़ाया करो, समझे ! चुपके से चले जाओ ।'' वे कुछ बोलना चाहते थे, मगर सौ लोगों के हाथ में पत्थर देखकर कान पूंछ हिलाये बिना ही चलते बने ।

उनके जाने के एक ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आयी । मैंने पचास लोगों को गाड़ी का रास्ता रोकने का आदेश दिया । गाड़ी रुक गयी, मैंने चार तमाचे लगाकर उसे भी विदा किया । वे बेचारे भले आदमी थे, मज़े से चोटें खाकर चलते बने । अचानक एक आदमी ने कहा, ''पुलिस आ रही है । सबके सब फुर्र हो गये । मैं भी सड़क के नीचे उतरा और गली में घुसकर ग़ायब हो गया ।

दानशीलता

सिकन्दर लोदी भारत का एक बहुत मशहूर बादशाह हुआ है। वह खुद बहुत नेक था और बुजुर्गों की बड़ी इज़्ज़त करता था। उसी के दौरे-हुकूमत में ज़ैनुद्दीन नामक एक बहुत ही नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग हुए हैं। आप बहुत ही मालदार और बहुत बड़े रईस थे। आपकी दानशीलता, नेकदिली, खुदा का ख़ौफ़ और इबादत के सबब सुलतान आपकी इज़्ज़त करता था। आप अपने रोज़ाना कामों के बहुत पाबन्द थे।

एक बार की बात है। जुमा का दिन था। आपको बुलाने के लिए बादशाह ने लगातार तीन हरकारे भेजे, परन्तु आपने अपने कामों को छोड़कर जाना पसन्द नहीं किया। दरबारियों ने बादशाह को भड़काना चाहा, बोले–"बादशाह ने तीन बार बुलाया फिर भी न आये।"

बादशाह ने कहा–मुझे ख़याल नहीं रहा। जुमा को वे अपने मामूल के अनुसार कहीं नहीं जाते। कोई बात नहीं जब वक़्त मिलेगा आ जाएंगे।"

सुल्तान के इन्तिक़ाल के बाद आप पद से हटा दिये गये, अब तो सारा धन-दौलत ख़त्म हो गया और आप काफ़ी ग़रीब हो गये फिर भी दानशीलता की आदत न गयी।

एक दिन आपने बहुत से काग़ज़ निकाल कर फाड़ डाले और नौकर से कहा कि इन फटे हुए काग़ज़ों को इतना धो डालो कि उन पर लिखा हुआ कुछ बाक़ी न रहे। ख़ादिम काग़ज़ धो रहा था कि एक साथी ने धोने का सबब पूछा, तो आपने कहा–

"धन-दौलत के समय में बहुत से लोगों ने मुझ से रुपये उधार लिए, देते समय मेरा इरादा वापस लेने का नहीं था, परंतु उन लोगों ने ज़बरदस्ती ही दस्तावेज़ें लिखकर भेज दीं। यह वही दस्तावेज़ें हैं ज़िन्हें मैंने इस वजह से फाड़ डाला कि कहीं मुहताजी के सबब ये रुपये वापस लेने का ख़याल मन में न आ जाए, मेरे मरने के बाद मेरे वारिस उसकी वापसी का दावा न कर दें।

उधार की यह रक़म दो-तीन लाख रुपये के लगभग थी, परन्तु यह अल्लाह वाले बुजुर्ग मुहताजी के बावजूद उसे न केवल वापस लेने से बचे बल्कि आगे के लिए उसकी वापसी का रास्ता तक बन्द कर दिया।

साहित्य समाचार

अमित कुमार लाडी सम्मानित

अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच द्वारा आयोजित भव्य साहित्यिक कार्यक्रम में श्री अमित कुमार लाडी (साहित्यकार व संपादक) को पिछले दिनों नयी दिल्ली में 8 प्रदेशों से आये विशिष्ट साहित्यकारों के बीच नयी दिल्ली के तानसेन मार्ग पर स्थित त्रिवेणी कला संगम सभागार में "सरस्वती रत्न सम्मान-2011" से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री अमित कुमार लाडी को शाल, पुस्तक, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मानित किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ॰ भीष्म नारायण सिंह पूर्व राज्यपाल और डॉ॰ जी॰वी॰जी॰ कृष्णामूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त भारत सरकार थे।

ग़ौर हो कि इस समारोह में देश के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक व कवि उपस्थित थे, जिनमें बाल स्वरूप राही, डॉ॰ कैलांश मानव, पवन चौधरी मनमौजी, प्रो॰ राम प्रकाश गोयल, जयदेव विद्रोही, आर॰डी॰ अग्रवाल, मंगल नसीम, वंदना सक्सेना, संतोष कुमार गर्ग, पी॰एस॰ शाक्य, सुरेन्द्र कुमार मोगिया, दिलीप कुमार जाजू, गुरप्रीत सिंह टुटेजा, नरेश कुमार सचदेवा, आशिष महर्षि, कुमार गजेन्द्र, दीपक दुआ, सुरेन्द्र बावरा, के॰के॰ झा, डॉ॰ राजेश स्वर्गवासी, इन्द्र सिंह घिगान, हरीश शर्मा, सुधा मित्तल, कविता तिवारी, मनीष खुराना, मुहम्मद जाहिद, अशरफ़ अली, सादिक़ शाह, सत्यनारायण, सिद्धि जैन, शिशिर अग्रवाल, सुरेश चन्द कोठारी, वसीम अकरम, दीपमाला चौहान, गोपीचन्द वर्मा, रवीन्द्र गुगनानी, आर॰डी॰ शर्मा, देवा राम सैनी आदि शामिल थे।

समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकार एवं समाजसेवी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कई और साहित्यकारों को भी विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। ग़ौरतलब है कि अमित कुमार लाडी तीन भाषाओं (पंजाबी, हिन्दी और अंग्रेज़ी) में लिखते हैं।

इसके साथ ही वह तीन भाषाओं में तीन मासिक पत्रिकाएं भी निकाल रहे हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है।

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्वाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्वाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्वाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

नैतिकता इस्लाम की आत्मा

■ एम॰ शैज़ी

इस्लाम का नैतिकता से इतना महत्वपूर्ण संबंध है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा के निर्जीव होता है, उसी प्रकार नैतिकता के बग़ैर इस्लाम निरर्थक है । यही कारण है कि इस्लाम के अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमांया : मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं श्रेष्ठतम नैतिकता को पूर्ण कर सकूं । दूसरी जगह आपका कथन है : मैं इसलिए अवतरित किया गया हूं कि नैतिकता के मकारिम को पूरा कर सकूं । ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अच्छे-बुरे तमाम हालात में, व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक मामलात में, धर्म का क्षेत्र हो या न्याय का मामला, जंग की स्थिति हो या अमन का मौक़ा, प्रेम की हालत हो या क्रोध का अवसर, सुख का मौक़ा हो या दुख का समय, दरिद्रता की हालत में हो या धनवान की हैसियत में, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से नैतिकता के श्रेष्ठतम रूप का परिचय देकर समस्त मानवता के लिए आदर्श क़ायम किया।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि तुम में सबसे श्रेष्ठ वह है, जो नैतिकता में सबसे अच्छा हो अर्थात सद्व्यवहारी तथा सदाचारी हो । यानी नैतिकता मुसलमान के ईमान एवं इस्लाम की पहचान है, जितनी अच्छी नैतिकता होगी, उतना ही अच्छा इस्लाम होगा । हक़ीक़त यह है कि नैतिकता अलग से कोई विशेषता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के ईमान का प्रदर्शन है । ईमान व्यक्ति के अन्दर अल्लाह का भय और प्रेम जैसे गुण पैदा करता है और ये गुण जब व्यक्ति के व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित हों तो उसी प्रदर्शन का नाम नैतिकता है ।

नैतिकता का अर्थ है किसी मनुष्य का दूसरे व्यक्ति से सद्व्यवहार करना । इस्लाम की शिक्षा यह है कि मनुष्य दूसरे इन्सानों के साथ व्यवहार करने में हर स्थिति में नैतिकता का परिचय दे । कोई क्रोध दिलाये तो वह उसको क्षमा कर दे, अपनी वाणी से भी किसी का दिल न दुखाये, कोई कड़वा बोले तो मीठे बोल से उसका जवाब दे । किसी की श्रेष्ठता पर ईर्ष्या न करे, न किसी के माल का लालच करे, किसी की बुराई न करे, गाली-गलौच, मार-पीट और किसी को दुख न पहुंचाये, न्यायसंगत व्यवहार करे, जब वादा करे तो उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करे, अमानत में ख़यानत न करे, क्रोध पर संयम रखे, सत्यता, समानता, दया, करुणा और निष्पक्षता का प्रतीक हो, गर्व और घमंड से स्वयं को बचाने वाला हो आदि । यहां तक कि जीवन के हर क्षेत्र में वह जो भी कार्य अंजाम दे उसमें नैतिकता का प्रदर्शन हो, इसी प्रकार के व्यवहार का नाम नैतिकता है ।

मुसलमान का जीवन ज़िम्मेदारी और ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व की एक गहरी आस्था से जुड़ा है । इस्लाम में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के चित्त में यह विश्वास समाया हुआ होता है कि उसे अपने मन, शरीर एवं मस्तिष्क के हर कर्म का ईश्वर के सामने जवाब देना है । जिसके फलस्वरूप उसका जीवन चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, इस आस्था के तहत ही व्यतीत होता है । उसके अंतरात्मा में समाया हुआ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी जीवन का यह एहसास जहां उसे सृष्टि के अन्य प्राणियों से श्रेष्ठता प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य को नैतिकता के श्रेष्ठतम स्थान पर आसीन कर मनुष्य के चरित्र और कर्म को आदर्श रूप प्रदान करता है । यह विश्वास जितना मज़बूत होगा, उतना ही लोगों के प्रति उसका व्यवहार नैतिकता के गुण से सुशोभित होगा ।

मनुष्य को ईश्वर से समीप होने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है वह तक़वा अर्थात प्रभू के डर और उसके प्रेम में हर बुराई त्यागना और तमाम भलाइयों को ग्रहण करना है और मनुष्यों के प्रति उसे जिस चीज़ की आवश्यकता है वह नैतिकता है । इन्हीं दोनों विशेषताओं के संगम से वह व्यक्तित्व वजूद में आता है, जिसे मोमिन अर्थात मुसलमान कहा जाता है । ये दोनों विशेषताएं एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़ी हैं । जहां तक़वा होगा, वहां नैतिकता होगी और जहां नैतिकता होगी वहां तक़वा भी निश्चित रूप से मौजूद होगा । एक चीज़ का न होना स्वयं में यह प्रमाणित करता है कि दूसरी चीज़ भी वहां मौजूद नहीं

है ।

अच्छा व्यवहार क्या है और बुरा व्यवहार क्या ?

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अन्य लोगों के साथ रहता है, उसका वास्ता हर समय भिन्न-भिन्न प्रकार एवं स्वभाव वाले लोगों से पड़ता रहता है । ऐसी हालत में यदि वह लोगों के साथ किसी भी मामले में नैतिकता के फलस्वरूप सद्व्यवहार व सभ्यता का परिचय दे तो वह अच्छे चरित्र का स्वामी अर्थात नैतिक व्यक्ति कहलाएगा । इसके विपरीत यदि उसका व्यवहार लोगों के साथ बुरा होगा तो निश्चित रूप से उसकी पहचान समाज में अनैतिक चरित्र के लोगों में होगी । नैतिक व्यवहार का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है । व्यक्ति जहां भी हो और जिस हाल में भी हो समाज में उसको इन दोनों में से किसी एक व्यवहार को अपनाना पड़ता है । उस समय उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि वह नैतिक चरित्र का व्यक्ति है या अनैतिक चरित्र का इन्सान है ।

नैतिकता वास्तव में उच्च मानवीय सिद्धांत एवं विशेषता का नाम है, जिसके लिए अनिवार्य है कि वह जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, एक पक्षीय रूप में नैतिकता के सिद्धांत पर जमा रहे । वह परिवार में भी और समाज में भी नैतिकता का प्रदर्शन करे, किसी देश, राज्य, संस्था का पदाधिकारी हो या सेवक, अध्यापक हो या विद्यार्थी, व्यापारी हो या ग्राहक, किसान हो या मज़दूर उसे हर हैसियत में अपने नैतिक गुण का प्रदर्शन करना है । उसे मित्रता में भी और शत्रुता में भी, सुख के समय में भी और दुख के दौर में भी, क्रोध के अवसर पर भी और सामान्य हालत में भी, सहमति और असहमति दोनों दशाओं में अपनों के बीच में भी और अपरिचित एवं ग़ैरों के बीच व्यवहार में भी नैतिकता का परिचय देना है ।

वर्तमान दौर अधर्म और भौतिकता का युग है, जिसमें मनुष्यों को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है और यही कथित स्वतंत्रता समाज में अनैतिकता की जड़ है । ईशभय और परलोक में अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग-नरक भोगने के विश्वास के कमज़ोर होने या उसको मात्र कल्पना समझने की धर्म विरुद्ध भावना ने मानव समाज में उपद्रव पैदा कर दिया है । पश्चिमी विचारधारा ने धर्म को मात्र व्यक्तिगत बताते हुए उसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था से अलग बताकर मानवीय समाज को गन्दगी एवं समस्याओं की ऐसी दलदल में फंसा दिया है कि वह जितना प्रयास उससे निकलने के लिए करता है, उतना ही ज़्यादा दलदल की गहराई में उतरता चला जाता है । सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मनुष्यों के लिए इस सृष्टि में उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान पैदा करके उसके प्रयोग करने के नियम ही नहीं बल्कि उसकी सर्वश्रेष्ठा को क़ायम रखने के लिए उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के साथ-साथ आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियम और क़ानून भी बताये ताकि मानव समाज सुख और शांति के साथ जीवन गुज़ार सके ।

समस्त कालों एवं युगों के ज्ञाता ईश्वर की दृष्टि में समस्त मानव बराबर हैं । वह इन्सानों की तमाम भौतिक, आंतरिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं से परिचित है । वह विचार, क्षेत्र, भाषा, नस्ल, वर्ग आदि तमाम पक्षपातों से पाक है, वह समस्त मनुष्यों का हितैषी है, वह मनुष्यों की बाहरी और आंतरिक आवश्यकताओं का ज्ञाता है । इसलिए ईश्वरीय विधान ही मानव के सर्वांगीण भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास और समस्त आवश्यकताओं की निष्पक्ष और न्यायसंगत आपूर्ति के लिए पर्याप्त है ।

मानव ज्ञान एवं बुद्धि सीमित है, वह अतीत से बेख़बर, वर्तमान के सीमित ज्ञान और भविष्य से तो पूर्णतः अनभिज्ञ है । विश्व के किसी भी देश में आज तक कोई ऐसा मानव निर्मित विधान नहीं बनाया जा सका जिसमें उसके रचनाकारों के विचार, भावना, प्रेम एवं घृणा का समावेश न हो । जिसमें भौतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आंतरिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के अवसर मौजूद हों । जिसमें सबको समान अधिकार, सम्मान व निष्पक्ष न्याय मिलता हो, जिसमें सबको बिना किसी भेदभाव के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हों, जिसमें योग्यता के अनुसार सबको रोज़गार तथा सेवा के अवसर प्राप्त हों । वास्तविकता तो यह है कि आज की दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षता और समान न्याय के ख़ाली नारे तो ज़रूर लगाये जाते हैं, लेकिन उसका व्यावहारिक रूप कहीं भी और किसी भी स्तर पर देखने को नहीं मिलता ।

इस्लाम के अतिरिक्त किसी भी अन्य विचारधारा में धर्म को श्रेष्ठता प्रदान नहीं की गयी है । क्योंकि नैतिकता का मूल आधार एवं स्रोत केवल धर्म है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नैतिकता के बिना इस्लाम बेमानी है

और नैतिक व्यवहार के बिना मुसलमान का ईमान संदिग्ध है । यही कारण है कि क़ुरआन और सुन्नत (अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) में नैतिकता को इस्लाम की रूह माना गया है । अच्छे और बुरे की तमीज़ अर्थात नैतिकता के गुण को अल्लाह ने मनुष्य की अंतरात्मा में निहित कर दिया है । इस गुण को बताते हुए क़ुरआन कहता है : और क़सम है नफ़्से लव्वामा की । (75:2) अर्थात भलाई और बुराई को स्पष्ट करने वाली अंतरात्मा की ।

एक अन्य स्थान पर ईश्वर स्वयं मानव अंतरात्मा की क़सम खाते हुए उसके गुण को स्पष्ट करता है : क़सम है इन्सान की अंतरात्मा (नफ़्स) की कि उसे ठीक बनाया और उससे भलाई और बुराई निहित कर दी । एक अन्य स्थान पर क़ुरआन कहता है : मनुष्य अपनी अंतरात्मा पर स्वयं समझ रखता है (कि उसने बुरा कर्म किया है या अच्छा) हालांकि वह अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के बहानों के पर्दे डाल देता है । क़ुरआन के अलावा हदीस में भी अंतरात्मा की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) फ़रमाते हैं : ऐ वाबसा (रज़ि॰) अपने मन से पूछा कर और अपनी अंतरात्मा से फ़तवा लिया कर । भलाई वह है, जिससे मन और अंतरात्मा में सकून पैदा हो और बुराई या पाप वह है जो मन में खटके और अंतरात्मा को विचलित कर दे, चाहे लोग तुझे उस कर्म का करना वैध ही क्यों न बताएं ।

(मसनद अहमद बिन हंबल, 228:4)

इसके अलावा क़ुरआन व हदीस से यह बात भी प्रमाणित है कि इन्सान अपने कर्म का ज़िम्मेदार स्वयं है । क़ुरआन में है : हर व्यक्ति से उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा । (38:74) आज हर व्यक्ति को उसके कर्मों का बदला दिया जाएगा, आज किसी पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा । ईश्वर बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है । (17-40), जिसने कण के बराबर भलाई की होगी वह उसे देख लेगा और जिसने कण बराबर बुराई की होगी वे उसके सामने होगी । (99:8) क्या इन स्पष्ट आदेशों और शिक्षाओं के बाद भी इस्लाम के अनुसरण का दावा करने वाला व्यक्ति नैतिकता के गुण को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप देने के प्रयास में संकुचित होगा ?

भौतिकता एवं अधार्मिकता के इस युग में नैतिकता के मार्ग पर चलना असंभव तो नहीं लेकिन अत्यंत कठिन ज़रूर है । नैतिकता के कटीले मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलने और उस पर जमे रहने के लिए एकमात्र सूरत यही है कि व्यक्ति हर समय और हर हाल में यह समझता रहे कि उसका हर कर्म चाहे उसने अकेले में या अंधेरे में किया हो या सार्वजनिक रूप से किया हो, सर्वव्यापी व सर्वदर्शी प्रभु की दृष्टि में है, उसे अपने प्रत्येक कर्मों का ही नहीं अपने मन-मस्तिष्क में पैदा होने वाले विचारों तक का हिसाब देना है, अंतरयामी ईश्वर उसके तमाम कर्मों और विचारों से परिचित है । निश्चित रूप से यह अटूट विश्वास मनुष्य में आत्म कंट्रोल की भावना का जागृत करके उसको हर हाल में स्वयं को नैतिकता के सिद्धांत एवं मार्ग पर दृढ़ रखने का पाबन्द बनाने में सहायक सिद्ध होगा और उसे उच्च व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करेगा और एक आदर्श के रूप में समाज में उसकी पहचान बनाएगा ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(ProfZ.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

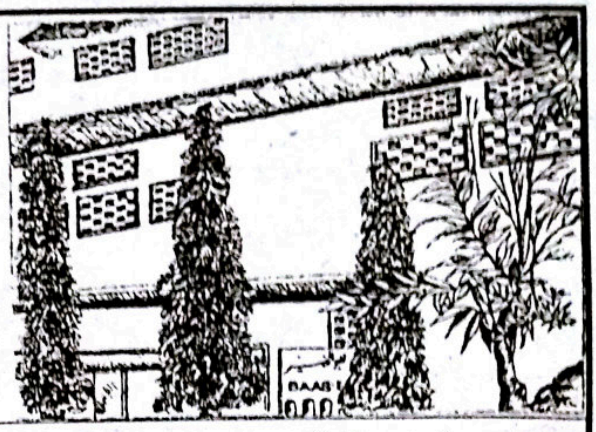

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2011 ई० तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

कितनी कारगर हैं शिक्षा की ये दुकानें ?

❖ सुप्रिया

आज के दौर में हम जब अंग्रेज़ी या दूसरी ग़ैर-मुल्की ज़बानें सीखते हैं तो अपनी हर तरक़्क़ी का नाता उसी ज़बान से जोड़ देते हैं, जबकि ज़बान तो ख़यालात को एक से दूसरे तक पहुंचाने का साधन है । इस लिहाज़ से हमें वही ज़बान सीखनी जरूरी होती है जो हमारा नाता तरक़्क़ी करते हुए समाज के साथ जोड़े । यह बात ऊंचे दरजे के समाज ने बहुत पहले समझ ली थी, फिर यह विदेशी तालीम हासिल करना उनके लिए मुमकिन भी था । नतीजे के तौर पर मज़दूरों किसानों के बच्चे देशी भाषा तक सीमित रह गये ।

देशी भाषाओं में आज़ादी के लगभग आधी सदी के बाद भी आज के इल्म, साइंस, इंजीनियरिंग वग़ैरह पढ़ना मुमकिन नहीं है । बदक़िस्मती से हमारे मुल्क के जो तबक़े सदियों से निचली सतह पर दब और पिस रहे थे आज के दौर में उनमें से कुछ फ़ीसदी लोग एकदम पैसे वाले बन गये हैं और वे क़ुदरती तौर पर अपने बच्चों के लिए वे तमाम फ़ायदे बटोर लेना चाहते हैं जिनसे वे अभी तक वंचित रखे गये थे । वे उन्हें अच्छी अंग्रेज़ी शिक्षा देना चाहते हैं । उनकी यह इच्छा बिल्कुल जायज़ और उचित है । क्योंकि वे देख रहे हैं कि किसी भी ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए आज अंग्रेज़ी के बग़ैर काम नहीं चलता ।

अंग्रेज़ी एक तरक़्क़ी करती हुई भाषा है क्योंकि हर पल नयी-नयी इजादें अपने साथ नये शब्द लेकर आ रही हैं और फिर आज किसी भी भाषा को सिखाने के लिए पहले दिन से पढ़ना-लिखना नहीं सिखाया जाता । सबसे पहले बच्चे को बोलना आता है । हर बच्चा अपनी मातृभाषा को ही पहले बोलना सीखता है, उसके कई साल बाद वह अपने हाथों पर कंट्रोल सीखता है । इसी तरह वह कोई भी विदेशी भाषा सीखेगा । आजकल पढ़ाने के नये तरीक़ों में लिखना काफ़ी देर में आता है । ग़ौर से देखें तो प्रकृति ने यही तरीक़ा ठीक समझा है, तभी तो बच्चे पहले बोलना सीखते हैं ।

आपकी गली के नुक्कड़ पर जो इंग्लिश मीडिया स्कूल खुला हुआ है, वह पैसा बटोरने की दुकान से ज़्यादा कुछ नहीं होगा । आपको शायद यह नहीं मालूम कि यह स्कूल 'इंग्लिश मीडियम' अपने नाम के साथ इसलिए लगाते हैं ताकि भोले-भाले लोग लंबी फ़ीस देने में सोचे नहीं । फ़ीस कितनी ली जाए यह इलाक़ा देखकर तय किया जाता है । कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचा जा सकता है अस्ल दिलचस्पी यह होती है ।

मुहल्लों में खुले हुए इन स्कूलों में मुश्किल से सौ में से एक या दो स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चों के बारे में कुछ जानते हैं और अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उनकी जानकारी ऐसी होती है कि बच्चे उनके हाथों में सुरक्षित हैं । अक्सर ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे उदास तबियत के हो जाते हैं और सीखने और जानने का शौक़ खो देते हैं । जो भाषा सिखाने का ये उस्ताद दावा करते हैं उस भाषा में एक वाक्य सही नहीं बोल सकते । वे उस बोझिल बस्ते में से जो उन्होंने तीन साल के मासूम बच्चों के कंधों पर लादा है, कुछ किताबों को मशीनी ढंग से रटा देते हैं । बच्चे यही वाक्य बार-बार मां-बाप के सामने बोलते रहते हैं । वे यह समझते हैं कि उनके बच्चे को अंग्रेज़ी बोलनी आ गयी । इसी तरह अंग्रेज़ी में गिनती और पहाड़े रटवा देते हैं, जबकि बच्चों को अस्ल में अंक की समझ भी नहीं होती ।

इन स्कूलों में पढ़ाने का तरीक़ा कम से कम दो सौ साल पुराना है । यह वह तरीक़ा है जो अंग्रेज़ों ने इस देश में बाबू पैदा करने के लिए चलाया था । आज हमारे देश में आर्थिक तरक़्क़ी बहुत हो गयी है, हमें उस पुरानी तरकीब के रट्टू तोते नहीं चाहिए, हमें दूसरी तरह के नागरिक चाहिए । रचनात्मक अक़्ल का इस्तेमाल कर सकने वाले खोज करने और नये रास्ते ढूंढ़ने वाले, पुरानी बातों को कसौटी पर परख सकने वाले और उन पर सवाल उठाने वाले नागरिक चाहिएं तब ही इस देश में जो प्रजातंत्र नाममात्र को है उसका फ़ायदा सभी देशवासियों तक पहुंचाया जा सकता है । पढ़ाई के दो सौ साल पुराने तरीक़े हमें आगे नहीं बढ़ने देते ।

इन स्कूलों में अंग्रेज़ी में अल्फाबेट और गिनती पहाड़े रटवा देते हैं । यहां के प्रबंधक व अध्यापकगण इस बात को नहीं जानते कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीक़ा सही है । शिक्षा अनुसंधान केन्द्र राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद (एस॰सी॰ ई॰आर॰टी॰) जिसका आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसलिए गठन किया था कि शिक्षाविद् इस विषय पर सोच-विचार करके यह फ़ैसला करें कि अलग-अलग उम्र के बच्चों को क्या, कितना और कैसे सिखाना संभव और ज़रूरी है । जानकारी देने के अलावा बच्चे की ज़ेहनी, जज़्बाती और अमली तरीक़े पर किस तरह मदद दी जाए कि वह बेहतर इन्सान और अच्छा नागरिक भी बन सके साथ ही साथ वह अपनी जन्मजात जहानत को बुलंदी तक पहुंचा सके । कमी केवल यह रह गयी कि एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ के सुझाव स्कूलों पर लागू नहीं किये गये । मौजूदा सूरत में यह मां-बाप की ज़िम्मेदारी रह जाती है कि वह इन मसलों पर सोचें-समझें और ऐसे ही स्कूलों में बच्चों को दाख़िल कराएं, जहां पैसे का लालच नहीं बल्कि बच्चे को इन्सान का बच्चा बनाने की भी इच्छा हो । इसलिए मां-बाप को अपनी जानकारी छोटे बच्चों की ज़रूरतों के बारे में बढ़ाना ज़रूरी है ।

प्राइवेट स्कूल आमतौर से प्रैपेटरी या प्रीनर्सरी के नाम से चलाये जाते हैं । उनमें तीन से लेकर चार साल तक के बच्चे दाख़िल किये जाते हैं । इस वायदे के साथ कि एक-दो साल यहां पढ़ने के बाद किसी भी बड़े स्कूल में वे दाख़िल हो सकेंगे, बिल्कुल घटिया दुकानदार की तरह घटिया माल के दाम बढ़ाकर वसूल किये जाते हैं ।

मुश्किल यह है कि ज़िन्दगी की दूसरी ज़रूरतों के लिए ख़रीदारी करते वक़्त ग्राहक को यह मालूम होता है कि वह क्या ख़रीदने जा रहा है, बाज़ार का भाव क्या है और माल की क्वालिटी कैसी है ? और उसी हिसाब से वह दाम देता है । यहां बेचने वाले को न क्वालिटी का ज्ञान है, न ही जिसके लिए वह माल ख़रीदने जा रहा है उसकी ज़रूरत की जानकारी है, क्योंकि वह तो मासूम बच्चा है और अपनी राय का इज़हार सिर्फ़ रोने और नाराज़गी से ही कर सकता है । मां-बाप को सिर्फ़ इस ज़रूरत का एहसास है कि बच्चे को अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए इसे हासिल करने के लिए वह अपनी सब ज़रूरतों को पीछे डालकर पैसा ख़र्च करते हैं । लेकिन उन्हें इससे पहले कुछ बातें सोचने, समझने और जानने की हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है ।

पहली बात तो यह है कि बच्चे की अपनी मातृभाषा ही सबसे पहले सिखाना चाहिए, क्योंकि यही वह भाषा है जिसमें वह अपने विचार ठीक तरह से प्रकट कर सकता है, जो बच्चा अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं बोल पाता, वह कोई और भाषा भी अच्छी तरह नहीं सीख सकता । मैंने इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बहुत बच्चों को देखा है कि वे हिन्दी, उर्दू के आम बोलचाल में आने वाले लफ़्ज़ और मुहावरों का मतलब भी नहीं जानते । बग़ैर अपनी मादरी ज़ुबान को अच्छी तरह जाने, किसी विदेशी भाषा को भी अच्छी तरह सीखा नहीं जा सकता ।

दूसरी बात यह है कि भाषा विकास का यह मतलब नहीं कि बच्चे को नर्सरी में दाख़िल करते ही स्वर-व्यंजन लिखना सिखा दिया और हो गया भाषा विकास । बच्चे का शब्दकोश बढ़ाना चाहिए । आमतौर से मज़दूर और गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों को बहुत कम शब्द आते हैं । शहर में रहने वाले ग़रीब और बेपढ़े-लिखे परिवारों में भी यही हाल है । दरमियाने पढ़े-लिखे बहुत से ऐसे हैं जहां बच्चे से बातचीत करना मुमकिन नहीं होता या ज़रूरी नहीं समझा जाता, वहां भी बच्चों की भाषा का यही हाल है ।

इसका मतलब यह हुआ कि भाषा विकास के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चा नयी चीज़ें देखे, उन्हें समझे और उनकी ख़ासियत जाने । मिसाल के तौर पर लाल गेंद, हरा चौकोर और नीला त्रिकोण । जब बच्चा ऐसी चीज़ों से खेलता है तो कई नये तजुर्बे करता है और उनके साथ नये शब्द और उनके मायने समझता है जैसे 'मेरी गेंद लुढ़क रही है, मेरी गेंद लाल है ।' वह इस बात को भी समझ जाता है कि गोल गेंद चौकोर की बजाए आसानी से लुढ़कती है ।

आपने महसूस किया होगा कि यहां सीखने के कई पहलू हैं । पहला तो यह कि उसे कोई भाषण नहीं दे रहा कि लाल गेंद लुढ़कती (या मुश्किल से लुढ़कती है), त्रिकोण नीला है वग़ैरह । वह अपनी क्रिया से यह सब ख़ुद सीख रहा है । यहां आप इसे बेशक नये शब्द दे सकते हैं, जो फ़ौरन उसकी भाषा का अंग बन जाएंगे, जैसे लुढ़कना, गोला, लाल, चौकोर, नीला वग़ैरह । तीन साल के बच्चे के लिए यह ख़ुद सीखा हुआ सबक़ है जिसे रटना नहीं पड़ेगा ।

इस्लाम अनुदार धर्म नहीं

❑ इमामुद्दीन रामनगरी

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के विषय में मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार इस प्रकार हैं–''इस्लाम अपने अति विशाल युग में भी अनुदार नहीं था, बल्कि सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा था । उस समय, जबकि पश्चिमी दुनिया अंधकारमय थी, पूर्व क्षितिज का एक उज्ज्वल सितारा चमका, जिससे विकल संसार को प्रकाश और शांति प्राप्त हुई । इस्लाम झूठा धर्म नहीं है । हिन्दुओं को भी इसका उसी तरह अध्ययन करना चाहिए, जिस तरह मैंने किया है । फिर वे भी मेरे ही समान इससे प्रेम करने लगेंगे ।''

''मैं पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी का अध्ययन कर रहा था । जब मैंने किताब का दूसरा भाग भी ख़त्म कर लिया, तो मुझे दुख हुआ कि इस महान प्रतिभाशाली जीवन का अध्ययन करने के लिए अब मेरे पास कोई और किताब शेष नहीं । अब मुझे पहले से भी ज़्यादा विश्वास हो गया है कि यह तलवार की शक्ति न थी, जिसने इस्लाम के लिए विश्व क्षेत्र में विजय प्राप्त की, बल्कि यह इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का अत्यंत सादा जीवन, आपकी नि:स्वार्थता, प्रतिज्ञापालन और निर्भयता थी । यह आपका अपने मित्रों और अनुयायियों से प्रेम करना और ईश्वर पर भरोसा रखना था । यह तलवार की शक्ति नहीं थी, बल्कि वे विशेषताएं और गुण थे, जिनसे सारी बाधाएं दूर हो गयीं और आप (सल्ल०) ने समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली ।

मुझसे किसी ने कहा था कि दक्षिणी अफ़्रीक़ा में जो यूरोपियन आबाद हैं, इस्लाम के प्रचार से कांप रहे हैं, उसी इस्लाम से जिसने मोरक्को में रोशनी फैलायी और संसारवासियों को भाई-भाई बन जाने का सुखद-संवाद सुनाया, निस्संदेह दक्षिणी अफ़्रीक़ा के यूरोपियन इस्लाम से नहीं डरते हैं, बल्कि वास्तव में वे इस बात से डरते हैं कि अगर अफ़्रीक़ा के आदिवासियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया, तो वे श्वेत जातियों से बराबरी का अधिकार मांगने लगेंगे । आप उनको डरने दीजिए । अगर भाई-भाई बनना पाप है, तो यह पाप होने दीजिए । अगर वे इस बात से परेशान हैं कि उनका नस्ली बड़प्पन, क़ायम न रह सकेगा, तो उनका डरना उचित है, क्योंकि मैंने देखा है अगर एक जूलो ईसाई हो जाता है तो वह फिर भी सफ़ेद रंग के ईसाइयों के बराबर नहीं हो सकता । किन्तु जैसे ही वह इस्लाम ग्रहण करता है, बिल्कुल उसी वक़्त वह उसी प्याले में पानी पीता है और उसी प्लेट में खाना खाता है, जिसमें कोई और मुसलमान पानी पीता और खाना ख़ाता है, तो वास्तविक बात यह है जिससे यूरोपियन कांप रहे हैं ।''

(जगत महर्षि, पृष्ठ 2)

स्वामी भवानी दयाल संन्यासी दक्षिणी अफ़्रीक़ा के विख्यात भारतीय नेता और नेटाल इंडियन नेशनल के भूतपूर्व वाइस प्रेसीडेंट हैं । भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में भी आपके उच्च विचार प्रकाशित होते रहते हैं । एक बार पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जयंती के अवसर पर डेहरी (शाहाबाद)

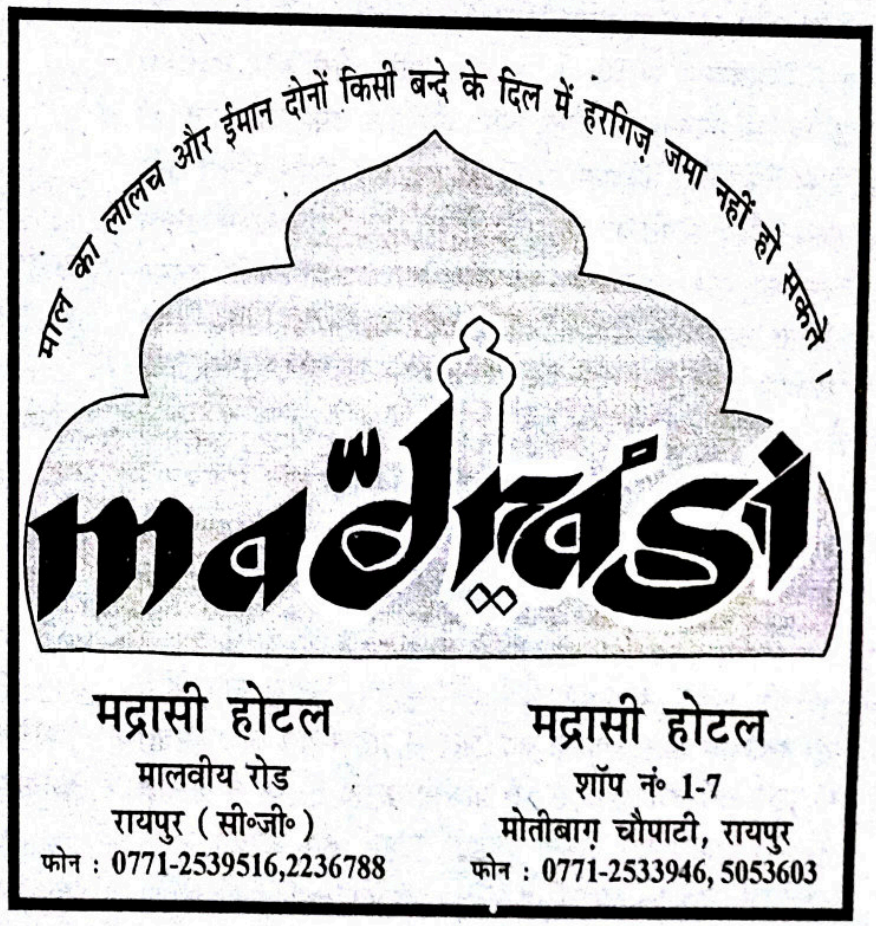

में आयोजित एक विराट सभा के सभापति के हैसियत से आपने जो भाषण दिया था उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है–

''आज मुहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या दुनिया में बहुत है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुहम्मद साहब की सत्यतापूर्ण पुकार को उनकी जाति ने तुरंत स्वीकार कर लिया ? और उनके आदेशों को आसानी से मान लिया ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ । यदि ऐसा होता तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की असीम सहनशीलता, दृढ़ता, अद्वितीय दया और क्षमाभाव, इसके अतिरिक्त आपके अगणित उत्तम गुण पर्दे में अदृश्य रह जाते और दुनिया उनसे परिचित न हो पाती । मुहम्मद साहब को भी आरंभ में उन्हीं कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, जो हर बड़े से बड़े सुधारक का हिस्सा है । मानवता उपकारक इस महान सुधारक को अपने सत्य उद्देश्य में सफल होने के लिए प्राणघातंक यातनाएं और कष्ट झेलने पड़े । फिर भी आपने अपनी अद्वितीय दृढ़ता और साहस को न छोड़ा और बराबर इस्लाम का प्रचार-प्रसार करते रहे, सत्य बात कहने से कभी न रुके । अंततः हज़रत मुहम्मद साहब का बोलबाला हुआ और उनके जीवन ही में सारा अरब देश समस्त बुराइयों से पाक और शुद्ध हो गया ।''

''मुहम्मद साहब के साहस, शौर्य, धैर्य और दृढ़ता ने दुनिया में मुसलमानों जैसी वीर और ईश उपासक जाति को जन्म दिया है । अधिक दिन नहीं हुए कि संसार में हर ओर उनकी विजय पताका फहरा रही थी, सारी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा था और कोई दूसरी जाति उनका सामना नहीं कर सकती थी । यही मुसलमान आज इतने पतनशील और दिशाहीन क्यों नज़र आ रहे हैं ? उनके गले में दूसरों की गुलामी का पट्टा क्यों पड़ा हुआ है ? इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मुहम्मद साहब की शिक्षा से मुसलमान कोसों दूर हट गये हैं । मुहम्मद (सल्ल०) के नामलेवा चाहें तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अगर वे सच्चाई के साथ हज़रत मुहम्मद साहब के प्रबल धैर्य और दृढ़ता, साहस और शौर्य एवं सदाचार और उदारता को फिर से ग्रहण कर लें । मित्रो! मैं दूसरे धर्म के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे हज़रत मुहम्मद साहब को अपना आदर्श बनाएं और उनकी उत्तम शिक्षा पर चलकर लाभांवित हों ।'' ('जगत् महर्षि', पृष्ठ 9,12)

लघुकथाएं

महानता

बहु-बेटे में झगड़े की आवाज़ सुनकर भगवानी बाहर से कमरे में आयी और बेटे से पूछा कि वह बहू से क्यों झगड़ा कर रहा है ?

''झगड़ा क्यों न करूं, मां ? यह देख, हर रोज़ यह तेरे पीने के दूध में पानी मिलाती है । आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है ।'' दूध का गिलास मां को दिखाते हुए आकाश ने कहा ।

बेटे की बात सुनकर मां ने पहले कोने में खड़ी बहू की ओर देखा और फिर हंसकर कहा–''बेटे, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है । मैंने ही बहू को कह रखा है कि वह मुझे पानी मिला दूध ही दिया करे, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है । बूढ़ी काया शुद्ध दूध को पचा नहीं पाती है ।'' इतना कहकर मां कमरे से बाहर चली गयी । आकाश ठगा-सा कभी दूध के गिलास को देख रहा था, तो कभी अपनी पत्नी की ओर । जिसके चेहरे पर पछतावे के भाव स्पष्ट झलक रहे थे । वह मां की महानता को तोलता ही रह गया था ।

रोहित यादव

सैदपुर, मंडी अटेली, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

पटाख़ा

चिर प्रतिद्वंद्वी भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था । उसके बल्ले से चौकों-छक्कों की बरसात-सी हो रही थी ।

अफ़ज़ल और वसी पटाख़े ले आये थे । सचिन जब भी चौका मारता, वसी एक पटाख़ा दाग़ देता । वे बहुत ख़ुश थे । सचिन ने एक छक्का मारा । वसी ने दौड़ कर एक पटाख़ा रखा और उसमें आग लगा दी । पटाख़ा फुस-फुसकर जलने लगा । अगली ही बॉल पर सचिन आउट हो गया तभी वह पटाख़ा ज़ोर से दग़ गया ।

शर्मा जी घर से बाहर आये और तीखे स्वर में बोले, 'सचिन के आउट होने की ख़ुशी में पटाख़े दाग़ रहे हो । पाकिस्तान की जीत पर तो डांस करोगे ?

वसी और अफ़ज़ल चुपचाप थे, एक बेजान पटाख़े ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था । • **साबिर हुसैन**

छींक और अंधविश्वास

छींक मानव शरीर की स्वाभाविक क्रिया है । मानव समाज में ही छींक के संबंध में अनेक अंधविश्वास प्रचलित हैं

घर से बाहर निकलते समय अथवा किसी शुभ कार्य को आरंभ करते समय किसी को छींक आ जाए तो लोक कुछ देर रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में छींकना अनिष्टकारी तथा अमंगल सूचक माना जाता है । अधिकतर लोग सम संख्या में आने वाली छींक को बुरा नहीं मानते जबकि विषम संख्या में आने वाली छींक को अशुभ मानते हैं ।

ईसाई धर्म की शुरुआत में लोगों की ऐसी मान्यता थी कि छींक से भूत प्रेत की बाधा उत्पन्न होती है । इस लिए वे प्रेत बाधा को दूर करने तथा इससे बचने के लिए क्रास का चिन्ह बनाते थे ।

बन्टू जाति के लोग अपने नवजात शिशु को भूत प्रेत की व्याधि से ग्रस्त समझते थे । इससे छुटकारा दिलाने के लिए वे शिशु को सुगंधित लकड़ी का धुवां तब तक सुंघाते थे जब तक कि वह छींक कर भूत प्रेत बी बाधा से मुक्त होने का प्रमाण न प्रस्तुत कर दे ।

स्कॉटलैंड के पूर्वतीय इलाक़ों में ऐसी परंपरागत मान्यता प्रचलित है कि नवजात शिशु परियों के वश में रहता है तथा जब तक वह छींक नहीं देता, परी से छुटकारा नहीं पा सकता । इस वजह से शिशु को जबरन छिंकवाया जाता है ।

अनेक यूरोपीय देशों में ऐसी मान्यता है कि यदि वस्त्र पहनते समय छींक आ जाए तो दुर्भाग्य तथा अनिष्ट से बचने के लिए तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट जाना चाहिए । जर्मनी में जूता पहनते समय छींक आने को अपशकुन तथा अमंगल सूचक माना जाता है । इस स्थिति में व्यक्ति पहना हुआ जूता पैर से उताकर कुछ देर के बाद पुनः पहनता है । वह तब घर से गंतव्य के लिए प्रस्थान करता है ।

उत्तरी अफ़्रीका की एक जाति हौजा के लोगों की मान्यता है कि छींक आने से शरीर का भूत बाहर निकल जाता है । इसलिए वे छींक आने पर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं ।

मिस्र में सोलहवीं शताब्दी में लोग छींक आने पर अनाज आदि का दान करते थे ।

अनेक यूरोपीय देशों में ऐसी मान्यता है कि जिस दुल्हन का विवाह जनवरी में हो तथा यदि वह विवाह के समय दो बार छींकती है तो उसे जुड़वां बच्चे पैदा होंगे । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से शादी का प्रस्ताव करता है तथा स्वीकारात्मक उत्तर मिलने से पूर्व छींक आ जाए तो संबंध एक वर्ष के पूर्व ही टूट जाएगा । कुछ लोगों का विश्वास है कि सगाई की अंगूठी लेते समय यदि लड़का छींक दे, तो यह संबंध अस्थिर होगा ।

● विद्या प्रकाश

'माफ़िया' शब्द का अर्थ

आज जगह-जगह हो रही हिंसा के दौर में एक शब्द 'माफ़िया' रह-रहकर बार-बार सुनायी देता है । अक्सर अख़बारों की सुर्ख़ियां देखने को मिलती हैं कि अमुक माफ़िया गिरोह ने आज फ़लां जगह इतने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया । क्या आप जानते हैं कि क़ानून व्यवस्था और अमन-चैन के लिए नासूर बन चुके 'माफ़िया' नामक इस शब्द का जन्म कब और कैसे हुआ था ?

यह शब्द सन 1282 में फ्रांस द्वारा सिसिली पर आक्रमण करने के समय अस्तित्व में आया था । उस समय तक एक वाक्य प्रचलित था, 'मोर्टे आला फ्रांसिया इटालिया एनेला' अर्थात किसी फ्रैंच व्यक्ति की मृत्यु इटली के लिए एक जश्न का विषय है । इसी वाक्य के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर से बना शब्द है माफ़िया ।

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglanes.com

आंखों के ऊपर क्यों होती हैं भौंहें ?

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों के ऊपर छोटे-छोटे बारीक बालों की ये भौंहें क्यों होती हैं ?

दरअस्ल ये भौंहें हमारी आंखों से नमी को दूर रखने का काम करती हैं । जिस प्रकार से बारिश में छाता हमें भीगने से बचाता है, ठीक उसी प्रकार आंखों की भौंहें पसीने और बारिश से आंखों की रक्षा करती हैं ।

भौंहों का धनुष जैसा आकार पानी या पसीने के आंखों पर पड़े बिना ही चेहरे के एक तरफ़ से बहने का रास्ता बना देता है, जिसके कारण हमारी आंखें गीली नहीं होती और हम बारिश या पसीने में भी साफ़-स्पष्ट देखने में सक्षम होते हैं । साथ ही पसीने में उपस्थित नमक से भी आंखें जलने से बच जाती हैं ।



यही नहीं, भौंहों की हालत देखकर हम व्यक्ति के भावों को भी पढ़ सकते हैं । यदि किसी की भौंहें सिकुड़ी हुई हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति गुस्से में हो ।

आंख की भौंहें चेहरे की ख़ूबसूरती के लिए भी अति महत्वपूर्ण होती हैं । ज़्यादा घनी और मोटी भौंहें सुन्दर नहीं समझी जाती जबकि पतली व तनी हुई भौंहों को बहुत ख़ूबसूरत माना जाता है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

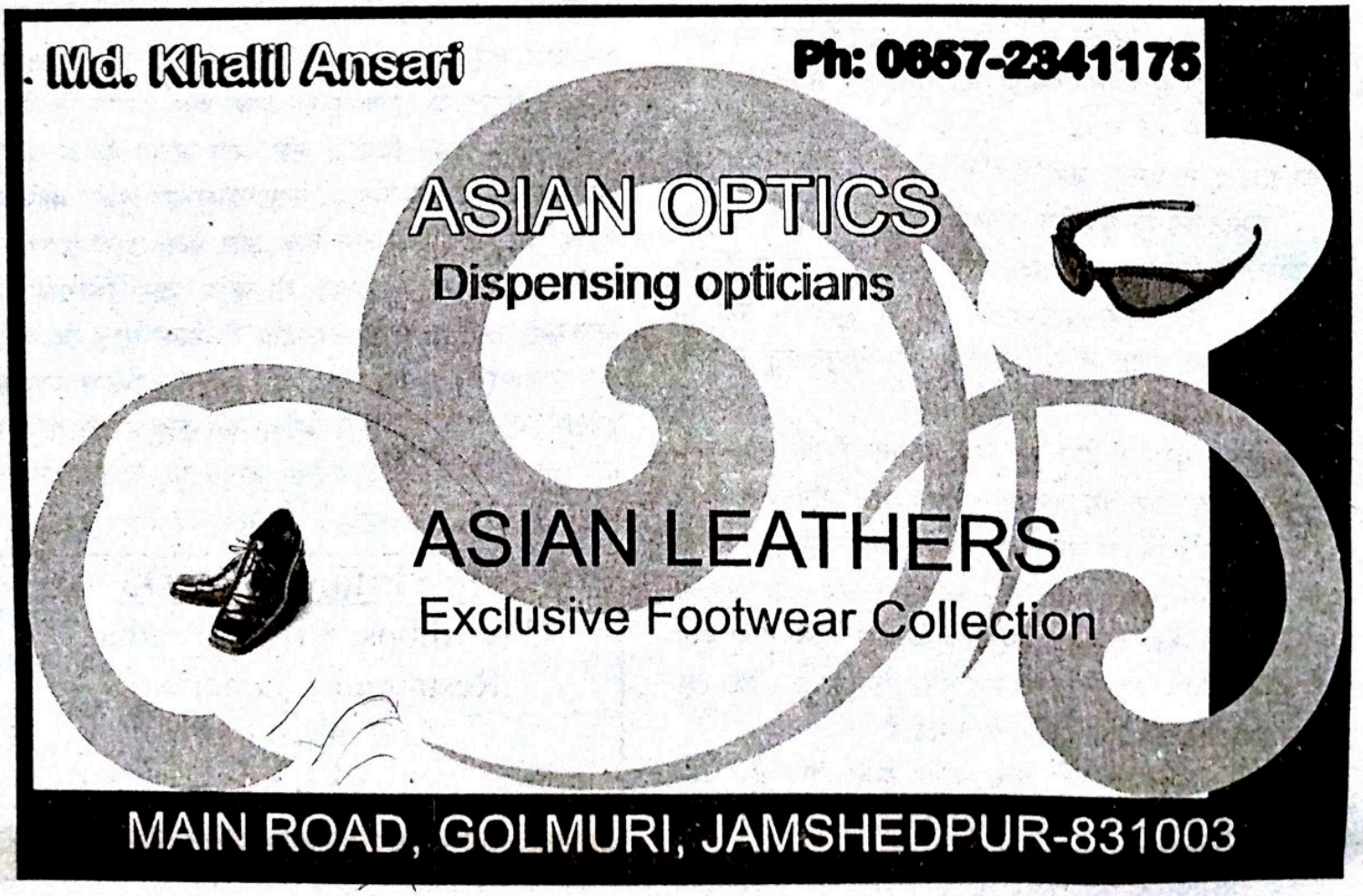

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

Posted on 20-21 January 2012
February 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.01.2011

हिन्दी महिलाओं की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

With Best Wishes From :

SEA ISLAND BRAND

QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

FACTORY

PLOT NOS. 5B 39 & 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALCETE, GOA-403 703
TEL. : 91 832 2865610/11/12, FAX : 832 2865609
E-mail : qualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

QUALITY EXPORTS

SEAFOOD PROCESSORS & EXPORTERS

FACTORY

Plot Nos. 5B 64, 65 66 & 67 Cuncolim Industrial Estate
Cuncolim, Salcete, GOA-403 703
E-mail : qualityexportsgoa@yahoo.com/mmigoa@yahoomail.com